इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड

11वीं
वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

iCON
INFRA & SERVICES

मिशन और विजन

''विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना ''

निदेशक मंडल

(अंशकालीन निदेशक)

श्री एम.के.सिंह
अध्यक्ष

श्री सुरजीत दत्ता
निदेशक

श्री ए.के.गोयल
निदेशक

श्री पराम वर्मा
निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्री अजय पाल सिंह
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(6 मार्च 2020 से)

श्रीमती पूजा चौरसिया
मुख्य वित्त अधिकारी
(25 जनवरी 2019)

सुश्री मनीषा गोले
कंपनी सचिव
(28 नवंबर 2018)

सांविधिक लेखापरीक्षक

के एस चौधरी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
212,एएम.जे.शॉपिंग सेंटर, 3, वीर सावरकर ब्लॉक, शक्करपुर, दिल्ली-110092

सचिवीय लेखापरीक्षक

सुश्री कंचन शाह एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव,
1-31, गली नं.3, ललित पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-1100924, सेक्टर-40

मुख्य बैंकर

इंडियन ओवरसीस बैंक
एचडीएफसी बैंक

विषयवस्तु

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष का संबोधन	6
2.	निदेशक की रिपोर्ट	11
3.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिवधियों पर रिपोर्ट	26
4.	प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	30
5.	कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	37
6.	कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाणपत्र	50
7.	सचिवीय लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट	52
8.	फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिर्टन का सार	57
9.	फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं का विवरण	64
	वित्तीय विवरण 2019-20	
10.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्षहेतु आईएसएल की वित्तीय विशेषताएं	68
11.	तुलन पत्र	69
12.	लाभ हानि विवरण	70
13.	रोकड़ प्रवाह विवरण	71
14.	इक्विटी परिवर्तन का विवरण	72
15.	लेखांकन नीतियां - नोट सं. 1 एवं 2	74
16.	प्रकटनों सहित लेखों के नोट	136
17.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	167
18.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र	180

अध्यक्ष का संबोधन

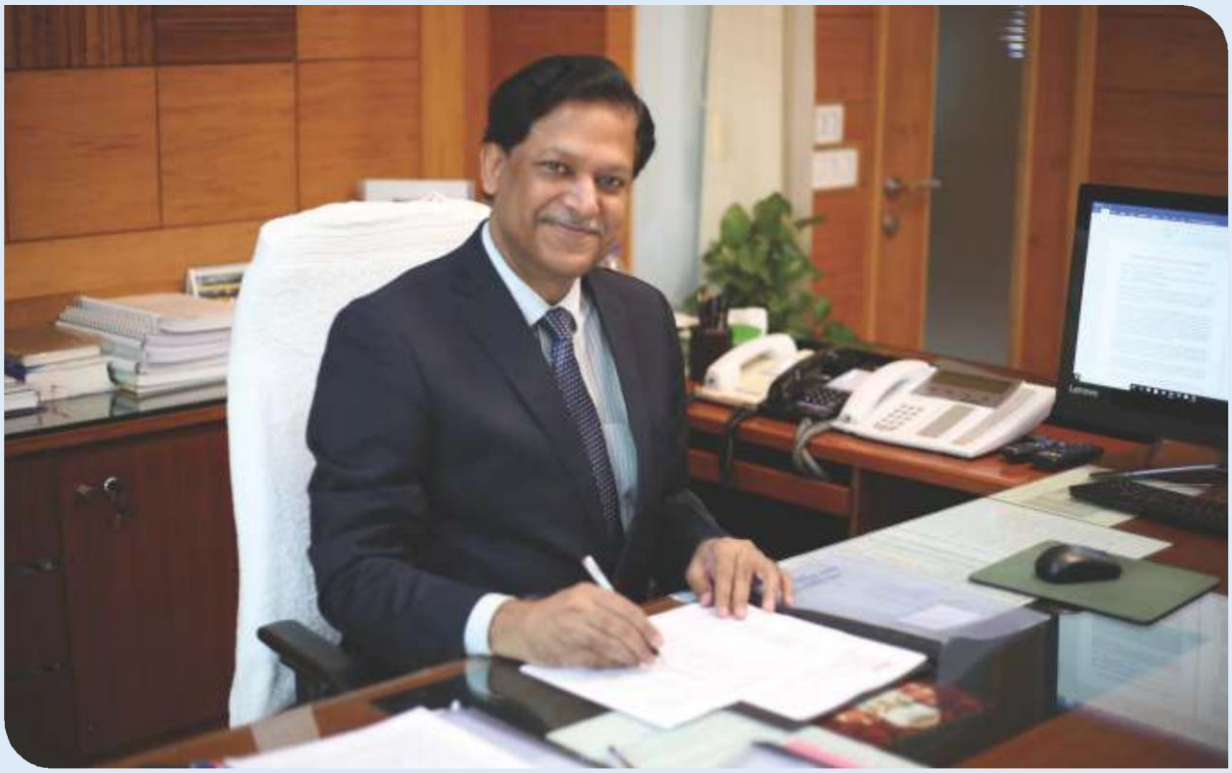

गणमान्य शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 11वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपार्ट तथा निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय संपरीक्षकों की रिपोर्ट आपको परिपत्रित की गई है और मैं इस आशय की अनुमति हेतु अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ लिया गया होगा।

विश्व में अत्यधिक आर्थिक चुनौतियों के बीच आपकी कंपनी का यह वर्ष उत्पादकतापूर्ण था, तथा स्थिति उस समय नियंत्रण से बाहर हो गई जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित नोवेल कोरोनावायरस का सामना करना पडा। कोविड–19 वैश्विक महामारी की समस्या ने ना केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है बल्कि व्यापक स्तर पर व्यवसाय और समाज को भी प्रभावित किया है। जैस–जैसे यह महामारी फैलने लगी हमारी प्राथमिकता, अपने उद्देश्यों की पूर्ति और अपने ग्राहकों को सहयोग प्रदान करने के साथ–साथ हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सम्पन्नता प्रदान करना है। इस कोविड–19 वैश्विक महामारी ने कार्यप्रणाली की विधियों की सुग्राहयता, सक्षमता और ग्रहणीयता की परीक्षा ली है। इस

कोविड–19 महाकारी का दूरगामी प्रभाव पडा है इसलिए, वर्तमान कार्यों को पूरा करने और नए कार्यों हेतु अवसरों को प्राप्त करना आगामी समय में चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

आपके साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के कार्यनिष्पादन पर नवीनतम स्थिति को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 131.13 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 70.67 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 85.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और कंपनी ने पिछले वर्ष के 76.34 करोड़ रूपए की तुलना में इस वर्ष 135.51 करोड़ रूपए का कुल राजस्व अर्जित किया हैं। कंपनी ने 14.86 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है और कर पश्चात लाभ 11.51 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संवर्धित टर्नओवर प्रमुख रूप से परामर्शदात्री परियोजनाओं, बहुउद्देशीय परिसरों को उपपट्टे पर देने की परियोजनाओं के निष्पादन के कारण है। इसप्रकार, इन परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अर्जित राजस्व क्रमशः 106.65 करोड़ रूपए, 16.65 करोड़ रूपए था, जबकि वर्ष 2018–19 के दौरान यह केवल क्रमशः 47.68 करोड़ रूपए तथा 17.79 करोड़ रूपए था। इसलिए, वास्तविक दृष्टि में और पिछले वर्षों की तुलना में, प्रचालनों से राजस्व में वृद्धि हुई है।

प्रचालनिक प्रोफाइल

आपकी कंपनी ने रेल मंत्रालय के लिए चौबीस चिह्नित रेलवे स्टेशन परिसरों पर बहुउद्देशीय परिसरों के विकास का कार्य किया था। इरकॉन आईएसएल, ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को तीसरे पक्षों को सफलतापूर्वक उपपट्टे पर दिया है। उपपट्टे पर दिए गए इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों में से तारापीठ, राजगीर तथा थिरूवला में बहुउद्देशीय परिसरों को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और करारों की शर्तों के अनुसार इन्हें रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। आपकी कंपनी ने पट्टा किराया और उपपट्टेदार द्वारा अन्य देय राशियों का भुगतान न करने के कारण कन्नूर, और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों के उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया है। उपपट्टेदारों द्वारा बहुउद्देशीय परिसरों के उपपट्टा करारों को समाप्त किए जाने के विरूद्ध संबंधित न्यायलयों में याचिका दायर की गई है और यह अंतिम स्तर पर है और निपटान हेतु लंबित है।

आपकी कंपनी दो प्रमुख परियोजनाओं में विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है।

पहली परियोजना, 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क का निर्माण कार्य। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 09.03.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

दूसरी परियोजना, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों का निर्माण कार्य है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 26.10.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने हमें दिनांक 30.12.2019 को (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से) हमें प्रदान किए गए मैसर्स आईआरएसडीसी हेतु सात भारतीय रेलवे स्टेषनों के विकास हेतु और 5.56 प्रतिशत के पीएमसी शुल्कों पर 98.50 करोड रूपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 08.05.2019 को कॉनकॉर इंडिया लिमिटेड द्वारा एमएमएलपी परादीप पोट, ओडीशा में मैसर्स इफकों के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए भारत में दो परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजना प्राप्त की हैं।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलव में सीईआरएल में खरसिया – धरमजयगढ खंड में पूर्वी रेल गलियारा चरण–। परियोजना परिसंपत्ति (रेलपथ पुल और अन्य संबंधित परिसंपत्तियां ओएचई एवं एसटी) के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु दिनांक 22.08.2019 को छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ करार में प्रवेश किया है।

वर्ष के दौरान, प्राप्त नई परियोजनाओं के अतिरिक्त, आपकी कंपनी भारत में छह परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी दुघोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425 करोड़ रूपए है। यह कार्य दिनांक 18.10.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा दिसंबर, 2020 है।

आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए

परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 10.11.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए है। यह कार्य दिनांक 31.08.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा सितंबर, 2021 है।

आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 07 भू पोटों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 197.64 करोड़ रूपए है।

आपकी कंपनी लगभग 66.88 करोड़ रूपए, 93 करोड़ रूपए, 108.36 करोड़ रूपए और 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर कॉनकॉर के लिए चार स्थलों पर यथा 1. पारादीप (ओडीशा), 2. कडकोला स्टेशन के समीप, मैसूर जिला, कर्नाटक, 3. भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) तथा 4. दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी को नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) तथा सबरकनाथ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए दिनांक 14.09.2017 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे औरा इनकी अनुमानित परियोजना लागत क्रमशः 25.09 करोड़ रूपए तथा 29.06 करोड़ रूपए है।

अपकी कंपनी को 74.34 करोड रूपए की अनुमानित लागत पर दिनांक 24.01.2019 को हस्ताक्षरित करार के अनुसार नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी के लिए अवसंरचना निर्माण कार्य हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्ष भी प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की मलेशिया, अल्जीरिया, कोलकाता और बांग्लादेश परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति का कार्य किया है और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 0.66 करोड रूपए की प्रचालनिक आय अर्जित की है।

आपकी कंपनी ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को मशीनरी पट्टे पर देने का कार्य किया है और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 1.59 करोड रूपए की प्रचालनिक आय अर्जित की है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी अच्छे निगमित शासन तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों तथा सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियामों के अनुपालन और नैतिकता के अनुसार व्यवसाय का संचालन करते हुए पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के प्रति 12.81 लाख रूपए की राशि खर्च की है। सीएसआर पहलों का उद्देश्य संधारणीय रूप से व्यवसाय का संचालन करना, इसमें व्यापक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सेनिटेशन आदि क्षेत्रों की गतिविधियां शामिल हैं। वांछित ब्यौरे को प्रस्तुत करने वाले निगमित शासन का एक पृथक खंड निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल और कंपनी की ओर से, मैं रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अपनी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा शेयरधारकों का, उनके निरंतर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जो हमारी सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति हैं और मैं अपने ग्राहकों, वेंडरों तथा साझेदारों को उनके विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

हमने नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश किया है, जिस समय सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं रूक गई हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका समर्पण, विवेक और कड़ी मेहनत तथा सहयोग तथा हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता आगामी महीनों में और बेहतर ही होगी तथा हम इस समस्या के समय से बाहर आकर कंपनी को बेहतर स्थिति में लाएंगे।

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईए न 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.08.2020

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपकी कंपनी के निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के कार्यकलापों की 11वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

1. वित्तीय निष्पादन/विशेषताएं

क. वित्तीय निष्पादनः

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 131.13 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व रिकार्ड किया है, जो कि पिछले वर्ष की 70.64 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 85.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल प्रचालनिक आय में वृद्धि मुख्य रूप से परामर्शदात्री परियोजनाओं के निष्पादन के कारण हुई है।

कंपनी ने 14.86 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति शेयर आमदनी पिछले वर्ष में 1.77 रूपए है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी की निवल संपत्ति 153.89 करोड़ रूपए हो गई है।

ख. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1.	प्राधिकृत शेयर पूंजी	65.00	65.00
2.	अंशदायी तथा प्रदत्त शेयर पूंजी	65.00	65.00
3.	आरक्षित निधि व अधिशेष	88.89	77.38
4.	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	2.30	2.23
5.	कुल राजस्व	135.51	76.34
6.	प्रचालनों से राजस्व	131.13	70.64
7.	कर पूर्व लाभ	14.86	17.21
8.	कर पश्चात लाभ	11.51	14.04
9.	निवल संपत्ति	153.89	142.39
10.	प्रति शेयर आमदनी (रूपए)	1.77	2.16

ग. **आरक्षित निधि में अंतरण**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने आरक्षित निधि में 11.50 करोड रूपए अंतरित किए हैं।

घ. **विदेशी मुद्रा आमदनियां और निर्गम**

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की विदेशी मुद्रा आमदनियां और आउटगो 0.73 करोड रूपए रूपए है, जो इरकॉन की मलेशिया परियोजना, अल्जीरिया परियोजना और बांग्लादेश परियोजना के लिए श्रमशक्ति आपूर्ति के कारण है। वित्ततीय वर्ष 2019–20 के दौरान म्यामार में पीएमसी परियोजना के लिए 4.57 करोड रूप्ए का आउटफ्लो निर्धारित किया गया है।

ड. **लाभांशः**

कंपनी के संसाधनों के संरक्षण और कंपनी के विकास के लिए लाभों को प्राप्त करने हेतु, निदेशक मंडल दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

च. **शेयर पूंजीः**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 65 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी तथा 65 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसका 100 प्रतिशत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा धारित है।

2. **प्रचालन निष्पादन**

क. आपकी कंपनी ने 23 स्टेशनों पर 24 बहुउद्देशीय परिसरों की स्थापना की है और ये स्टेशन हैं एल्लेप्पी, बर्धमान, दिघा, हरिद्वार, इंदौर, रामपुरहाट, रायपुर, सिलिगुड़ी, मदुरै, मैसूर, उदयपुर, इलाहबाद, बिलासपुर, ग्वालियर, हैदराबाद, हुबली, जबलपुर, जोधपुर, कन्नूर, राजगीर, तारापीठ, तिरुवल्ला, जम्मू (बजट होटल सहित एमएफसी) तथा जम्मू एएफसी (छोटा)।

इरकॉन आईएसएल ने इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है। उपपट्टे पर दिए गए इन 23 बहुउद्देशीय परिसरों में से तीरापीठ, राजगीर तथा थिरूपला में बहुउद्देशीय परिसरों को वित्तीय रूप से अलाभप्रद माना गया था और पट्टा करारों की शर्तों के अनुसार इन्हें रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वापस किया गया था। आपकी कंपनी ने पट्टा किरया और उपपट्टेदार द्वारा अन्य देय राशियों का भुगतान न करने के कारण कन्नूर और मैसूर में बहुउद्देशीय परिसरों उपपट्टा करारों को समाप्त कर दिया है। उप–पट्टाधारकों ने इस निरसन के विरूद्ध संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों में याचिका दायर की है और ये मामले निपटान के अंतिम चरण में हैं।

ख. **चालू विदेशी परियोजनाएं –**

आपकी कंपनी ने म्यामार में निम्नलिखित दो परियोजनाओं को निष्पादित किया हैः

क. इरकॉन आईएसएल 1518 करोड़ रूपए की निर्माण लागत वाली म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा (ज़ोरिनपुई) तक राष्ट्रीय राजमार्ग विशिष्टताओं पर दो लेन वाली सड़क के निर्माण कार्य के लिए विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है।

इसके कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 09.03.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) संविदा मैसर्स सी एंड सी जेवी (मैसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड और मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) को प्रदान किया गया था और दिनांक 31.03.2017 को ईपीसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कार्य दिनांक 31.05.2017 को आरंभ किया गया और इसके 30.05.2020 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। यह परियोजना दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में स्थिति है और ईपीसी संविदाकार की ओर से संसाधन जुटाने, डिजाइनों को प्रस्तुत करने में विलंब और निधियों की कमी हो रही है।

ठेकेदार का प्रमुख संयुक्त उपक्रम सदस्य अर्थात मेसर्स सी एंड सी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड एनसीएलटी के दिनांक 14.02.2019 के आदेश के संदर्भ में कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहा है और उसने अप्रैल 2019 से किसी भी प्रगति के बिना और अपने कर्मचारियों के डीमोबिलाइजेशन के बिना किमी .0 से किमी 60 के खंड को छोड़ दिया है। ठेकेदार के अन्य जेवी सदस्य अर्थात मेसर्स ईपीआईएल ने किमी 60 से किमी 109.2 तक कार्य के अपने भाग के लिए अपने प्रमुख उपठेकेदार/उप–एजेंसियों को नियुक्त करने में असामान्य रूप से देरी की है। इस परियोजना की स्थापना के बाद से ही स्थानीय जातीय समूहों और म्यांमार सेना के बीच झड़पें हुई हैं, जो दिनांक 01.01.2019 से बढ़ गई हैं। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सभी प्रवासियों को दिनांक 25.03.2020 को परियोजना स्थल से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनवरी/फरवरी 2020 से, म्यांमार सरकार ने भारत–म्यांमार सीमा से प्रवेश करने की अनुमति दी है, अर्थात, जोरिनपुई/म्यिकवा और किलोमीटर 109+200 से अंतिम श्रृंखला से प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं। मार्च, 2020 तक परियोजना की भौतिक प्रगति केवल 2.93 प्रतिशत है।

ख. इरकॉन आईएसएल, 293.93 करोड़ रूपए की निर्माण लागत पर म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–क्यिंगोने–कलेवा (टीकेके) पर पहुंच मार्ग सहित 69 पुलों के निर्माण के लिए कार्य विदेश मंत्रालय को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान कर रही है।

इसके कार्य के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 26.10.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी) संविदा मैसर्स एनसीएसएल–एमटीडीसीएल जेवी (मैसर्स नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड और मैसर्स मनिपुर आदिवासी विकास निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) को प्रदान किया गया था और दिनांक 08.11.2017 को ईपीसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। कार्य 28.11.2017 को आरंभ हुआ और इसके 27.11.2020 को पूरा होने की समयसीमा निर्धारित की गई है। कार्य के 13 महीनों में कार्य की प्रगति शून्य होने के कारण और ईपीसी ठेकेदार द्वारा अन्य चूकों के कारण, विदेश

मंत्रालय ने दिनांक 24.12.2018 को ईपीसी संविदा समाप्त कर दिया है। ठेकेदार ने दिनांक 29.12.2018 को माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे दिनांक 29.03.2019 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। तत्पश्चात, ठेकेदार ने दिनांक 04.04.2019 को मणिपुर उच्च न्यायालय की डिविजन शाखा में अपील दायर की थी और दिनांक 20.08.2020 को माननीय न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया है। टीकेके परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/डीपीआर दिनांक 04.02.2020 को विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है और कार्यों के पुनरुनिविदा का कार्य प्रगति पर है।

ग. भारत में चालू परियोजनाएं

आपकी कंपनी ने निम्नलिखित दस भारतीय परियोजनाओं को निष्पादित किया है:–

(क) आपकी कंपनी दुघोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 22.01.2018 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 425.20 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। मार्च 2020 को कार्य की भौतिक प्रगति 28.6 प्रतिशत है। यह कार्य दिनांक 18.10.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा जनवरी, 2020 है।

(ख) आपकी कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श करार पर दिनांक 10.11.2017 को हस्ताक्षर किए गए थे और परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 192 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। मार्च 2020 को प्रथम चरण में कार्य की भौतिक प्रगति 48 प्रतिशत है। यह कार्य दिनांक 31.08.2018 को आरंभ हुआ है और इसके समाप्त होने की समयसीमा सितंबर, 2021 है।

(ग) आपकी कंपनी भारतीय भू पोत प्राधिकरण (एलपीएआई) द्वारा 07 भू पोटों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी उपलब्ध करा रही है, यथा 1. अटारी–पंजाबी, 2. अगरतला–त्रिपुरा, 3. रक्सौल–बिहार 4. जोगबनी–बिहार 5. पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 6. दवकी–मेघालय तथा 7. मोरेह–मणिपुर, जिसकी कुल परियोजना लागत लगभग 197.64 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। अटारी–पंजाब में कार्य दिनांक 12.11.2018 को आरंभ हुआ। अटारी–पंजाब में मार्च 2020 तक भौतिक कार्य की प्रगति 8 प्रतिशत है और परियोजना के समापन की अनुसूची अक्तूबर 2020 है। अगस्त 2019 में जोगबनी–बिहार का कार्य आरंभ हो गया है। मार्च 2020 तक जोगबनी में परियोजना की भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत है और इस परियोजना के दिसंबर 2020 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। द्वाकी–मेघालय और पेटरापोल–पश्चिम बंगाल के दो अन्य स्थलों में कार्य आरंभ हो गया है।

(घ) आपकी कंपनी ने कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। इसके करार पर दिनांक 20.01.2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 93 करोड़

रूपए है। यह कार्य दिनांक 27.08.2018 को आरंभ किया गया है। तथापि, स्थानीय ग्रामवासियों के साथ भूमि संबंधी मुद्दे के कारण किया यह कार्य दिनांक 31.08.2018 को बंद हो गया था, जिसका समाधान कॉनकॉर द्वारा किया जा रहा है। अब कॉनकोर ने कार्य का पुनःनिविदा किया है और तकनीकी बोली दिनांक 05.06.2020 को खोली जाएगी।

(ड.) आपकी कंपनी ने पारादीप (ओडीशा) में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण कार्य के लिए दिनांक 25.10.2017 को परियोजना प्रबंधन परामर्श भी प्रदान किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 66.88 करोड़ रूपए है। मार्च 2020 को इस कार्य की भौतिक प्रगति 34 प्रतिशत है। यह कार्य दिनांक 26.10.218 को आरंभ किया गया और इसके समाप्त होने की अनुसूची नवंबर, 2020 है।

(छ) आपकी कंपनी को नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) तथा साबरकंठ (गुजरात) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए दिनांक 14.09.2017 को करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना की अनुमानित परियोजना लागत क्रमशः 25.09 करोड़ रूपए तथा 290.09 करोड़ रूपए (पीएमसी शुल्कों सहित) है। दोनों ही स्थलों में कार्य आरंभ हो गया है और इनके जून 2021 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

(ज) लगभग 108.36 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 11.06.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना। कॉनकॉर और यूपीडीए के बीच भूमि मुद्दों और अवसंरचनात्मक विकास विषय के कारण परियोजना का कार्य नहीं हो रहा है। इरकॉन आईएसएल, इस स्थल पर संविदा को समाप्त करने हेतु कॉनकॉर से अनुरोध करेगी।

(झ) लगभग 201 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत पर दिनांक 03.09.2018 को प्रदान की गई कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। यह कार्य दिनांक 28.03.2019 को आरंभ हो गया है। मार्च 2020 तक परियोजना की भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत है।

(ट) 36.26 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत पर दिनांक 26.07.2018 को प्रदान की गई राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम (एनटीपीसी), उच्चाहर, उत्तर प्रदेश के स्टेज–1 की एमजीआर प्रणाली के लिए पीआसी स्लीपरों सहित सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। निविदा को एल–1 बोलीदाता द्वारा अनुमानित लागत से उच्चतर कोट यथा 19.71 प्रतिशत अधिक के कारण निरस्तर कर दिया गया है। एनटीपीसी को उनके अनुमोदन हेतु संशोधित अनुमान इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वे पीएमसी शुल्क जारी करें। एनटीपीसी द्वारा असामान्य विलंब के करण दिनांक 29.11.2019 तथा 14.01.2019 को इरकॉन आईएसएल के पत्रों के तहत संविदा के समयपूर्व समापन हेतु एनपटीपीसी से अनुरोध किया गया है।

(ठ) 74.34 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत पर दिनांक 24.01.2019 को प्रदान की गई राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (एनडीआरएफ) अकादमी, नागपुर के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान करने की परियोजना है। परियोजना की अनुमानित लागत 74.34 करोड रूपए है। इस निविदा को वेबसाइट पर जारी किया गया है और तकनीकी बोली दिनांक 24.06.2020 को खोली जाएगी।

घ. भारत में नई परियोजनाएं

वर्ष 2019–20 के दौरान इरकॉन आईएसएल, ने चार नई परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाएं प्राप्त की हैं यथा :

(क) दिनांक 08.05.2019 को कॉनकॉर द्वारा प्रदान की गई एमएमएलपी पारादीप पोत, ओडीशा में मैसर्स इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग एवं परियोजना पर्यवेक्षण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श की नई परियोजना प्राप्त की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 5.56 प्रतिशत पीएमसी शुल्क सहित 98.50 करोड़ रूपए है। यह कार्य दिनांक 01.11.2019 को आरंभ हुआ है और नवंबर 2021 तक पूरा होने का कार्यक्रम है। मार्च 2020 तक परियोजना की भौतिक प्रगति 7 प्रतिशत है।

(ख) मैसर्स आईआरएसडीसी ने दिनांक 30.12.2019 (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से) को सात भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य हमें सौंपा है। तकनीकी सलाहकार के लिए निविदा ऑनलाइन मंगाई गई है और तकनीकी बोली 25.02.2020 को खोली गई है। वर्तमान कोविड–19 महामारी और उसके बाद की स्थिति के मद्देनजर, ग्राहक यथा मैसर्स आईआरएसडीसी ने वर्तमान स्थिति के ठीक होने तक इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्राकृतिक आपदा/फोर्स मेजर का नोटिस जारी किया है और तदनुसार उक्त कार्य के लिए तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति को रोक दिया गया है।

(ग) आपकी कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खगड़िया–धरमजयगढ़ सेक्शन में ईस्ट रेलवे कॉरीडोर, चरण–। परियोजना परिसंपत्तियों (रेलपथ पुलों और अन्य संब' परिसंपत्तियों, ओएचई और एसटी) के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए दिनांक 22.08.2019 को छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ एक समझौता किया है और यह कार्य प्रगति पर है।

नोटः – सभी परियोजनाओं के लिए ऊपर उल्लिखित निर्धारित समापन तिथियों को देशव्यापी लॉकडाउन और कोविड–19 वैश्विक महामारी द्वारा उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के कारण बढाए जाने की संभावना है।

(ड.) इरकॉन आईएसएल इरकॉन की मलेशिया, अल्जीरिया, कोलाकता और बांग्लादेश परियोजनाओं के लिए ''श्रमशक्ति आपूर्ति'' का कार्य भी कर रही है। दिनांक 31 मार्च 2020 को इरकॉन की मलेशिया परियोजना में 03 कर्मचारियों को, अल्जीरिया परियोजना में एक कर्मचारी को, इरकॉन की कोलकाता परियोजना में एक कर्मचारी को और इरकॉन की बांग्लादेश परियोजना में 04 कर्मचारियों को तैनात किया है।

(च) आपकी कंपनी अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को ''मशीनरी पट्टे पर देने'' का काम भी कर रही है। वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने निम्नलिखित तीन समझौतों में प्रवेश किया है –

1. दिनांक 16.12.2019 के करार के तहत इरकॉन की बिहार कियुल गया और हाजीपुर परियोजनाओं के लिए एक ड्यूओमैटिक टैंपिंग मशीन पट्टे पर दी गई है।
2. दिनांक 20.07.2019 के करार के तहत इरकॉन की छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) का एक डौमैटिक टैंपिंग मशीन पट्टे पर दी गई है।
3. दिनांक 28.03.2019 के करार के तहत इरकॉन की जयनगर नेपाल परियोजना के लिए एक ड्यूओमैटिक टैंपिंग मशीन पट्टे पर दी गई है।

3. अनुपालन

क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पारदर्शिता के संवर्धन एवं संवर्धित जवाबदेही के लिए, कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए तंत्र विद्यमान है। सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी के अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन–सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना इरकॉन आईएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान कंपनी को तीन आईटीआई आवेदन और दो अपीलें प्राप्त हुई हैं और सभी की प्रक्रिया/निपटान समयबद्ध आधार पर किया गया है।

ख. समझौता ज्ञापन

दिनांक 22 अप्रैल 2019 को आयोजित अंतर मंत्रालयी समिति बैठक में वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी को धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट प्रदान की गई है, क्योंकि कंपनी की वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रचालन से राजस्व से वार्षिक टर्नओवर 32.26 करोड़ रूपए है, जो कि बहुत कम है। तदनुसार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रचालन से केवल 70.64 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्ज किया है, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट का दावा किया है।

4. निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है:

इस रिपोर्ट की तिथि को पदधारित निदेशकों का ब्याघ्रा निम्नानुसार हैं :

1.	श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392)	10.04.2018 से आगे
2.	श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	01.12.2013 से आगे
3.	श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	01.09.2013 से आगे
4.	श्री पराम वर्मा (डीआईएन 05272169)	05.04.2018 से आगे

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 203 के प्रावधानों, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को प्रभावी हुए हैं, के अनुसरण में कंपनी के तीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्तियां की गईं थीं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियुक्त और इस रिपोर्ट की तारीख को पद धारित करने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1.	श्री अजय पाल सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी	06.03.2020 से आगे
2.	सुश्री पूजा चौरसिया मुख्य वित्त अधिकारी	25.01.2019 से आगे
3.	सुश्री मनीष गोला कंपनी सचिव	28.11.2018 से आगे

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरानकार्यमुक्त होने वाले प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1.	श्री राणा प्रताप सिंह मुख्य कार्यपालक अधिकारी	06.03.2020 से आगे

5. बोर्ड समितियां

कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां विद्यमान हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित ब्यौरे को निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है और यह **अनुबंध–ग** पर संलग्न है।

6. निदेशक मंडल और लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें और और लेखापरीक्षा समिति की चार अर्थात प्रत्येक तिमाही मेकं एक बैठक आयोजित की गई थी।

निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षा समिति और अन्य बोर्ड स्तरीय समितियों की बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट में **अनुबंध–ग** के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

7. रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 में रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं हैं। चूंकि कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए कंपनी के सभी निदेशकों को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त माना जाएगा। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–152 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य सभी निदेशकों में से एक तिहाई निदेशक यथा श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएनः 06687032) और श्री अशोक कुमार गोयल (डीआईएनः 05308809) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए योग्य है और पात्र होने पर उन्होंने स्वयं के लिए पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया है। आगामी एजीएम में पुनःनियुक्ति के लिए निदेशक के विवरण कंपनी के एजीएम के नोटिस में निहित हैं।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन का ब्यौरा प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है।

9. कार्मिक विकास

कंपनी के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक के रूप में, मानव संसाधन और प्रशासन (एचआरएंड ए) विभाग लगातार कंपनी के मुख्य उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप सक्षम मानव संसाधनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कर्मचारी संबंध परिदृश्य वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा है। दिनांक 31.03.2020 को कार्मिकों की संख्या 83 कर्मचारी थी, जिसमें 2 नियमित कर्मचारी, ठेके के 40 कर्मचारी, सेवा अनुबंध पर 3 कर्मचारी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर 38 कर्मचारी शामिल थे। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने इरकॉन की विभिन्न परियोजनाओं में 9 कर्मचारियों को तैनात किया है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के कार्मिक विकास से संबंधित मुद्दों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा धारक कंपनी के रुप में कार्रवाई की जा रही है।

जिन कर्मचारियों की नियुक्त कंपनी द्वारा की गई है और जिन्हें ठेके पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना अल्जीरिया परियोजना में तैनात किया गया है,उनकी व्यवस्था कंपनी कर रही है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी की अपनी वेबसाइट http//www.irconisl.com उपलब्ध है जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, परियोजनाएं, वार्षिक रिपोर्टें, निविदाएं, सम्पर्क ब्यौरा आदि उपलब्ध कराया गया है। वर्ष के दौरान नए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति, परियोजनाओं, वार्षिक रिपोर्टों, निविदाओं, संविदाओं, आरटीआई, संपर्क ब्यौरा आदि को अद्यतन किया गया था।यह वेबसाइट धारक कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org के साथ भी लिंक है।

11. प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास आदि

पर्यावरण पर समान महत्व के साथ ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और हरित भवन अवधारणा के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित और पर्याप्त उपाय किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों से संबंधित विविध पर्यावरणीय कानूनों को कंपनी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के भाग के रूप में पालन किया गया है। कंपनी ने ई–टेंडरिंग, एक इंटरनेट आधारित प्रक्रिया को भी अपनाया है, जिसमें पूर्ण निविदा प्रक्रिया विज्ञापन से लेकर निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त करने और जमा करने तक ऑनलाइन किया जाता है। यह कंपनी को अधिक कुशल बनाने में सक्षम है क्योंकि इससे सूचना के त्वरित आदान–प्रदान की सुविधा के लिए, कागज–आधारित लेनदेन कम या समाप्त हो जाते हैं।

12. प्रकटन

क. ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरणः

वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है। कंपनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है और कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की गई है।

ख. निदेशकों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर प्रकटनः

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। चूंकि इरकॉन आईएसएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों को शून्य पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है क्योंकि सभी निदेशक धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा नियुक्त अंशकालीन नामिति निदेशक हैं।

ग. बोर्ड बैठकों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों का अनुपालनः

वर्ष के दौरान, कंपनी सामान्य रूप से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड की बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–1) तथा सामान्य बैठकें (एसएस–2) का अनुपालन करती है, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां अन्यथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया हो।

घ. जमा राशियां

वर्ष के आरंभ में आपकी कंपनी के पास कोई जन जमा राशियां धारित नहीं है ना ही वर्ष के दौरान जनता से किसी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

ड. **कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक आदेशः**

कंपनी की वर्तमान स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या अधिकरणों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

च. **वित्तीय वर्ष के अंत तथा रिपोर्टिंग की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियांः**

वित्तीय वर्ष 2019–20 को समाप्त वर्ष के मध्यम में तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तथ्यात्मक परिवर्तन और टिप्पणियां नहीं हैं।

छ. **व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तनः**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ज. **लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियांः**

वर्ष 2019–20 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई अर्हता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

झ. **कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए लेखांकन मानक**

दिनांक 31 मार्च 2020 को तथा इस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के लागू प्रावधानों तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम 2016 के अनुसार तैयार किया गया है।

13. **एकीकृत रिपोर्ट**

निम्नलिखित रिपोर्टें/अभिलेख तथा संगत अनुबंध इस रिपोर्ट के एकीकृत भाग हैं, और इन्हें यहां परिशिष्ट पर प्रस्तुत किया गया हैः

क. **सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट**

''सीएसआर गतिविधिय रिपोर्ट'' कंपनी की सीएसआर नीतियों, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर बजट, निर्धारित सीएसआर व्यय, तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादित गतिविधियों/परियोजनाओं पर किए गए सीएसआर व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। **(अनुबंध–क पर प्रस्तुत)।**

ख. **प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट**

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट कम्पनी के कार्यों, व्यावसायिक वातावरण, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय तथा सगमेंटवार प्रचालनिक निष्पादन, शक्तियों, जोखिमों तथा चिंताओं और मानव संसाधन तथा आंतरित नियंत्रण प्रणाली ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। **(अनुबंध–ख पर प्रस्तुत)।**

ग. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट, निगमित शासन पर कंपनी के दर्शन, निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की संरचना और उनका ब्यौरा, साधारण बैठकों का ब्यौरा और अन्य संगत प्रकटन, आदि उपलब्ध कराती है (**अनुबंध–ग**)। इसमें निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्र भी शामिल होते हैं:

(क) वित्तीय विवरणों, देय अनुपालनों व वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता तथा विश्वसनियता, के संबंध में सीईओ तथा सीएफओ से प्रमाणपत्र (अनुबंध–**ग1 पर प्रस्तुत);**

(ख) वर्ष 2019–20 के दौरान सभीमंडल सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता तथा प्रमुख मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुबंध–**ग2 पर प्रस्तुत);**

(ग) पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित निगमित शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र (अनुबंध–**ग3 पर प्रस्तुत)।**

घ. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी की सचिवीय संपरीक्षा के लिए मैसर्स कंचन शाह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। लेखापरीक्षा से प्राप्त फार्म सं. एमआर–3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–घ** पर संलग्न है।

सचिवीय लेखापरीक्षक ने उल्लेख किया है कि *"सीपीएसई, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.3 के अनुसार, सरकार/अन्य सीपीएसई द्वारा नियुक्त नामांकित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित रहेगी। हालांकि, यह देखा गया कि बोर्ड में नामित निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक थी।'* इस मुद्दे पर, निदेशकों ने कहा कि इरकॉन (धारक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति धारक कंपनी द्वारा की जाती है।

ड. वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियसम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) और खंड 134(3)(क) के अनुसरण में है, फार्म **एमजीटी–9** में वार्षिक रिटर्न का सार निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में **अनुबंध–ड.** पर उपलब्ध है।

च. खंड–188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों को या तो व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के रूप में या आर्म लैंथ आधार पर निष्पादित किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 188(1) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का ब्यौरा फार्म एओसी–2 के रूप में **अनुबंध–च** पर संलग्न है।

14. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 134(5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जोतर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2019–20 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके ।

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथाछलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोइंग कंसर्न'' आधार परतैयार किया गया है।

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

15. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए भारतके नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स के.एस.चौधरी एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गई थी।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स कंचन शाह एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकके रूप में मैसर्स वी.एम.वर्मा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया गया है।

16. **एमएसई अनुपापलन**

इरकॉन आईएसएल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों (एमएसई) तथा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग प्रदान करे। इरकॉन आईएसएल ने एमएसई से विनिर्दिष्ट मदों के प्रापण के लिए भारत सरकार सार्वजनिक प्रापण नीति के क्रियान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी का वार्षिक खरीद लक्ष्य 110 करोड़ रुपये था और कंपनी की वास्तविक कुल खरीद 97.58 करोड़ रुपये थी, जिसमें से वर्ष के दौरान एमएसई से कुल खरीद 18.62 करोड़ रुपये थी।

17. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम के अनुपालन की नीति**

कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति विद्यमान और कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों की तर्ज पर कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण के निवारण, निषेध एवं निदान की नीति विचाराधीन है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जहां, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के खंड 22 के अनुसरण में यौन शोषण संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई हो। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन का कार्य विचाराधीन है।

आभारोक्ति

हम, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी तथा रेल मंत्रालय, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए), विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय तथा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और अन्य मंत्रालयों और ग्राहकों का कंपनी के प्रति उनकी निरंतर रूचि और सहयोग के लिए प्रशंसा एवं धन्यवाद करते हैं।

हम कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों का कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण और सत्यनिष्ठा के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(एम.के.सिंह)
अध्यक्ष
(डीआईएन 06607392)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त 2020

परिशिष्ट–क

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर रिपोर्ट

(कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसरण में)

1. कंपनी द्वारा निष्पादित परियोजनाओं और कार्यक्रमों और इसके वेब–लिंक के परिदृश्य सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखाः

आपकी कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से धारणीय विधि द्वारा व्यवसाय करने, जो पारदर्शी और नैतिक है, के लिए अपने स्टेकधारकों के प्रति प्रतिबद्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 (अनुच्छेद–135) तथा सीएसआर के लिए लोक उपक्रम विभार्ग के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार, इरकॉन आईएसएल ने सीएसआर और धारणीयता नीति का निर्माण किया है, जिसका केन्द्रीय उद्देश्य अपने सीएसआर उपायों के माध्यम से सामाजिक प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करना है।

सीएसआर और धारणीयता नीति का उद्देश्य समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को बेहतर बनाना और विकास के लिए प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह नीति अपने सीएसआर प्रयासों के माध्यम से समुदाय के लिए एक स्वस्थ और सुदृढ आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के विविध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विभिन्न अवसरों को प्रोत्साहित करने वाली सीएसआर पहल के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। सीएसआर नीति विकास के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करती है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शिक्षा, साक्षरता और पर्यावरण स्थिरता और स्वास्थ्य का ब्यौरा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी की सामाजिक दृष्टिकोण अपनी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रमुख हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संधारणीय रूप से व्यवसाय करने की अपनी नीति के अनुरूप अपनी सीएसआर पहल का संचालन करना है। इरकॉनआईएसएल ने अपने सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से अपने सीएसआर प्रयासों द्वारा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपने प्रयास किए हैं, जो एक सतत तरीके से व्यवसाय और सामाजिक लक्ष्यों को एकीकृत करेंगे, समावेशी विकास और योजना के माध्यम से सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, इरकानआईएसएल ने कन्याओं के स्कूल के लिए शौचालय ब्लॉक के निर्माण, कैंसर रोगी के लिए परामर्श और धारण कार्यक्रम, सौर ऊर्जा स्टेशन की आपूर्ति और स्थापना (5 केडब्ल्यूपी) द्वारा स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानव विकास के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों का संचालन किया है) और 20 औद्योगिक सिलाई मशीनों की आपूर्ति की है।

2. सीएसआर समिति की संरचनाः

वर्तमान में, कंपनी में सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति विद्यमान है। वर्ष 2018–19 के दौरान समिति के गठन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, और 2019–20 के दौरान आयोजित बैठकों का ब्यौरा निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा 7.2 पर प्रस्तुत है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री ए.के.गोयल, अंशकालीन निदेशक तथा सदस्य के रूप में श्री सुरजीत दत्ता, अंशकालीन निदेशक तथा श्री पराग वर्मा, अंशकालीन निदेशक शामिल हैं।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में यथा, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी को औसत शुद्ध लाभ 10.23 करोड़ रूपए प्राप्त हुआ है।

4. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर बजट 20,47,192 रूपए है, जो कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% है।

5. निदेशक मंडल ने दिनांक 22.10.2019 को आयोजित अपनी दूसरी सीएसआर समिति बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 20,47,192 लाख रूपए के सीएसआर बजट को अनुमोदित किया था जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों यथा 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 में भारतीय परियोजनाओं से कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% है, जिसकी पुष्ट बाद में दिनांक 22.10.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में की गई थी।

6. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सभी सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित बजट 20,47,192/– रुपये था, हालांकि, निर्धारित सीएसआर गतिविधियों को लागू करने के लिए प्राप्त बोली 20,30,240/– रुपये की थी, जो कि स्वीकृत लागत के भीतर थी, जिसके परिणामस्वरूप निधि की बचत हुई है। इसलिए, वर्ष 2019–20 के लिए अव्यय राशि 16,952/– रुपये है और इसे अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 2020–21 तक आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष अर्थात 2018–19 से 1,81,742/– रुपये की अग्रेणीत राशि भी शामिल ह ै(वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 41 का संदर्भ लें)। आपकी कंपनी अगले वर्ष अपनी पूर्ण सीएसआर प्रवीणता और संसाधनों का उपयोग करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी ताकि वर्ष 2020–21 के लिए आवंटित सीएसआर बजट को प्राप्त किया जा सके, जिसमें 2018–19 की अव्ययित राशि और वित्तीय वर्ष 2020–21 को अग्रेधीत वर्ष 2019–20 की राशि शामिल है।

7. वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने 20,30,240/–रूपए की राशि हेतु कार्य आवंटन पत्र जारी किए हैं, किन्तु कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण दिनांक 31 मार्च 2020 तक कंपनी द्वारा 4,65,750 करोड़ रुपए के कार्यों को निष्पादित किया गया गया है । कंपनी द्वारा सभी लंबित कार्य दिनांक 25.07.2020 तक पूरा कर लिया गया है।

वर्ष के दौरान निष्पादित परियोजनाओं और खर्च न की गई राशियों के कारणों का ब्यौरा निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.सं	चिह्नित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना का स्थल/क्षेत्र	खर्च की गई राशि (रूपए लाख में)	खर्च न की गई राशि के कारण	प्रत्यक्ष क्रियान्वयन या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	कन्या विद्यालय के लिए शौचालय ब्लॉक का निर्माण	भारतीय विकास परिषद कन्या विद्यालय, खुर्जा, उत्तर प्रदेश	6,99,720 रू. के लिए एलओए प्रस्तुत किया गया। 349,860 रूपए की राशि व्यय की गई।	कोविड–19 महामारी को प्रकोप के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण परियोजना कार्य में विलंब	प्रत्यक्ष

				हुआ और इस कार्य को कंपनी द्वारा दिनांक 25. 07.2020 को पूरा किया गया है।	
2.	कैंसर रोगियों के लिए काउंसलिंग और सहयोग कार्यक्रम	मैसर्स संजीवनी किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आंकोलॉजी, बैंगलोर	7,00,000 रू. के लिए एलओए प्रस्तुत किया गया। 600,000 रूपए की राशि व्यय की गई।	कोविड–19 महामारी को प्रकोप के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण परियोजना कार्य में विलंब हुआ और इस कार्य को कंपनी द्वारा दिनांक 30. 06.2020 को पूरा किया गया है।	प्रत्यक्ष
3.	5 केवी के रूफ टॉप सौर उर्जा प्रणाली की आपूर्ति और संस्थापन	मैसर्स एसएसएम इंस्टिट्यूट फॉर फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली	2,99,000 रू. के लिए एलओए प्रस्तुत किया गया। शून्य रूपए की राशि व्यय की गई।	कोविड–19 महामारी को प्रकोप के परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण परियोजना कार्य में विलंब हुआ और इस कार्य को कंपनी द्वारा दिनांक 10. 06.2020 को पूरा किया गया है।	प्रत्यक्ष
4.	20 औद्योगिक सिलाई मशीनों की आपूर्ति	मैसर्स शिरडी साई टैम्पल सोसाइटी स्कूल, सेक्टर–86, फरीदाबाद, हरियाणा	3,31,520 रू. के लिए एलओए प्रस्तुत किया गया। 3,31,520 रूपए की राशि व्यय की गई।	–	प्रत्यक्ष

अनुमोदित सीएसआर बजट (2 प्रतिशत)	:	20,47,192 रूपए
प्रस्तुत आवंटन पत्र	:	20,30,240 रूप्ए
अव्यय राशि	:	16,952 रूपए

8. सीएसआर समिति पुष्टि करती है कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में की गई है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त, 2020

अनुबंध –ख

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

विहंगावलोकन

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएलएस) रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) अनुसूची 'क', मिनी रत्न – श्रेणी–I की कंपनी है की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रुप में 30 सितंबर 2009 को निगमित हुई थी जो कि भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुविधाएं व सहूलतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेल की भूमि पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के नियोजन, अभिकल्प, विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए आरएलडीए के साथ धारक कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन का परिणाम है। 24 स्टेशनों पर निर्माण (वॉर्म शैल) का भौतिक कार्य किया गया था। कंपनी ने 23 बहुउद्देशीय परिसरों को सफलतापूर्वक तीसरे पक्षों को उपपट्टे पर दे दिया है।

उपर्युक्त उद्देश्य कंपनी के भावी विकास के लिए सीमित थे और इसलिए, कंपनी ने विभिन्न अन्य क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को फैलाया जिसमें परियोजना प्रबंधन और आधारभूत अवसंरचना परामर्श यथा नियोजन, डिजाइनिंग, विकास, निर्माण, सुधार, कमीशनिंग, प्रचालन और अनुरक्षण और विभिन्न सेवाओं से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, जैसें ट्रैक मशीनों को किराए पर देना आदि और इस प्रकार इसके उद्देश्यों में संशोधन हुआ।

व्यवसाय वातावरण

अवसंरचना सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्थाके लिए प्रमुख स्रोत है। यह सेक्टर भारत के समग्र विकास को गति प्रदान करने में अत्यधिक उत्तरदायी क्षेत्र है और ऐसी नीतियां आरंभ करने के लिए सरकार का गहन ध्यान आकर्षित कर रहा है जो देश में समयबद्ध आधार पर विश्वस्तरीय अवसंरचना के विकास करे सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2020–21 के अनुसार, रेलवे मंत्रालय को 70,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और अवसंरचनात्मक क्षेत्र के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में इस क्षेत्र के लिए अवसरों में वृद्धि हुई है।

औद्योगिक उत्पादन के लिए बेहतर मांग की संभावना के साथ यह वर्ष एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ आरंभ हुआ। विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार इस वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को नीचे की ओर संशोधित किया गया था और 2008–09 के बाद पहली बार 5 प्रतिशत से नीचे जा रही थी। धीमी गति की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार को विभिन्न पहलों के साथ कॉर्पोरेट कर दरों में व्यापक कमी की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने दो नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं और अन्य मौजूदा परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है तथा समय के साथ प्रभावी ढंग से और कुशलता से लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष के दौरान, कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन में हुई थी। कुछ ही समय में वही चीन में फैल गया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। केंद्र सरकार को कोविड–19 महामारी के सामुदायिक प्रसारण को रोकने के लिए मार्च 2020 के अंत में देशव्यापी तालाबंदी के साथ आना पड़ा।

कोविड–19 ने विश्व के लिए अभूतपूर्व चुनौतियों उत्पन्न कर दी हैं और कई मामलों में व्यवसाय निरंतरता योजनाओं को पहली बार रोकना पडा है। नर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, कार्यबल में कमी और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण ठेकागत दायित्वों और परियोजनाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। दिनांक 19 फरवरी 2020 को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड–19 को एक 'प्राकृतिक आपदा' के रूप में माना जाना चाहिए और जहां भी उचित समझा जाए, इसे बलपूर्वक लागू किया जा सकता है।

अवसंरचनात्मक क्षेत्र में आगामी चुनौतियों को कम करने के लिए उपयुक्त नियोजन और कुशजल कियान्वयन की आवश्यकता है।

कंपनी निम्नलिखित क्षेत्रों में अवसरों की तलाश कर रही है:

- भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
- विभिन्न निजी/सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी)।
- निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण(बीओटी) आधार पर रियल इस्टेट परियोजनाएं।
- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) परियोजनाएं।

दृष्टिकोण

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी का विजन/मिशन निम्नानुसार हैं:–

विजन/मिशन

विशिष्टता प्राप्त अवसंरचना विकासकर्ता के रुप में पहचान बनाना तथा पर्यावरण, गुणवत्ता व सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के सभी क्षेत्रों के लिए विख्यात सेवाप्रदाता के रुप में स्वयं को स्थापित करना।
पांच वर्षीय निगमित योजना (2015–2016 से 2019–2020) में उल्लिखित अनुसार कंपनी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

उद्देश्य

i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत तक 10 करोड़ रुपए के प्रचालनिक लाभ सहित 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करना।
ii) भारत तथा विदेश में अवसंरचना प्रबंधन परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।

कंपनी ने पांच वर्षीय निगमित योजना में निर्धारित अनुसार दोनों उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने 131.13 करोड़ रूपए का प्रचालनिक राजस्व प्राप्त किया है, जो कि पिछले वर्ष की 70.64 करोड़ रूपए की प्रचालनिक आय से 85.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल प्रचालनिक आय में वृद्धि मुख्य रूप से परामर्शदात्री परियोजनाओं के निष्पादन के कारण हुई है।

कंपनी ने 14.86 करोड़ रूपए का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कर पश्चात लाभ 11.51 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति शेयर आमदनी 1.77 करोड रूपए है।

दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी की निवल संपत्ति 153.89 करोड़ रूपए है।

प्रचालनिक निष्पादन

क. वर्ष 2019–20 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने तीन नई परियोजनाएं प्राप्त की हैं:–

1. कॉनकॉर इंडिया लिमिटेड द्वारा 08.05.2019 को एमएमपीएल पारादीप पोर्ट ओडिशा में मैसर्स इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श। अनुमानित परियोजना लागत 5.56 प्रतिशत की पीएमसी फीस पर लगभग 98.50 करोड़ रूपए है।

2. मैसर्स आईआरएसडीसी के लिए सात भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श का कार्य दिनांक 30.12.2019 को इरकॉनआईएसएल (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से) को प्रदान की गई।

3. कंपनी ने दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया – धरमजयगढ़ खंड में ईस्ट रेल कॉरिडोर, चरण–। परियोजना परिसंपत्ति (रेलपथ पुल और अन्य संबद्ध संपत्तियां, ओएचई एवं एसटी) के प्रचालन और रखरखाव के लिए दिनांक 22.08.2019 का छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ एक समझौता किया है, जिसमें बताया गया है। ।

ख. वर्ष 2019–20 के दौरान उपर्युक्त नई परियोजनाओं सहित, विभिन्न मौजूदा परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

i. दुधोला, पलवल, हरियाणा में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।

ii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली के नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श।

iii. भारतीय भू–पोत प्राधिकरण के लिए 07 भू पोटों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरिक एकोमोडेशन के निर्माण के लिए के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श यथा 1. अटारीःपंजाब, 2. अगरतला–त्रिपुरा, 3. रक्सौल–बिहार, 4. जोगबनी–बिहार, 5. पेट्रापोल–पश्चिम बंगाल, 6. द्वाकी–मेघालय, 7. मोरेह–मणिपुर

iv. पारादीप (ओडीशा) और कडकोला स्टेशन, मैसूर जिला, कर्नाटक के समीप भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) द्वारा प्रदान किए गए मल्टी मॉडल लाजेस्टिक पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

v. नवोदय विद्यालय समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) के लिए जेएनवी, साबरकनाथ (गुजरात) तथा अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) में दौ नवोदय विद्यालयों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता।

vi. म्यामार के चिन राज्य में किमी 0.00 से किमी 109.2 तक पलेटवा से भारत–म्यामार सीमा यथा जोरिनपुई तक एनएच विशिष्टताओं पर दो लेन की सडक के निर्माण के लिए परामर्श कार्य।

vii. म्यामार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तमु–खिगौने–कलेवा खं डमें 60 पुलों के निर्माण के लिए पीएमसी, जिसमें विदेश मंत्रालय ने मैसर्स एनसीएसएल–एमटीडीसीएल, जेवी, जिसे इन 69 पुलों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था के ठेके को समाप्त कर दिया है। ठेकेदार ने मणिपुर के माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। निविदा की आगे की प्रक्रिया माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान रिट याचिका 17/2019 के निर्णय के पश्चात आरंभ की जाएगी।

viii. कॉनकॉर के लिए भावपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

ix. कॉनकॉर के लिए दहेज, गुजरात के मल्टी मॉडल लॉजेस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

x. राष्ट्रीय ताप उर्जा निगम (एनटीपीसी), उच्चाहर, उत्तर प्रदेश के स्टेज–1 (2X210एमडब्ल्यू), की एमजीआर प्रणाली के लिए पीआसी स्लीपरों सहित सीएसटी–9 स्लीपरों के प्रतिस्थापन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

xi. राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (एनडीआरएफ) अकादमी, नागपुर के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श

ग. इरकॉनआईएसएल द्वारा निष्पादित कए गए 23 एमएफसी में से, जिन्हें प्रचालकों को उप–पट्टे पर दिए गए हैं, कन्नूर और मैसूर में एमएफसी के 2 उप–पट्टे समझौतों को उप–पट्टेदार द्वारा पट्टे के किराए का भुगतान न करने के कारण समाप्त कर दिया गया है। उप पट्टेदारों ने ठेके के इस समापन के विरूद्ध संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों मेंयाचिका दायर की है और मामले अंतिम चरण में हैं और निपटान के लिए लंबित हैं।

घ. इरकॉनआईएसएल ''श्रमशक्ति की आपूर्ति'' का काम भी कर रहा है और उसने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं में कुल 09 कर्मचारियों को तैनात किया है।

ड. इरकानआईएसएल इरकॉन इंटरनेशनल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए ''मशीनरी को पट्टे पर देने'' का काम भी कर रहा है।

क्षेत्रीय निष्पादन

वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व के छह क्षेत्र हैं यथा परामर्श, एमएफसी को उप पट्टे पर देना, श्रमशक्ति की आपूर्ति, संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना, रेलपथ का अनुरक्षण सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन। वर्ष 2019–20 के लिए प्रचालनिक आय में परामर्श परियोजाओं का अंशदान प्रमुख है यथा कुल प्रचालनिक आय का 81.33 प्रतिशत है। नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न क्षेत्रों से आय के भाग और कुल आय में इसके प्रतिशत अंशदान को दर्शाती है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2019–20		2018–19		2017–18	
	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%	प्रचालनिक आय	%
परामर्श	106.65	81.33	47.68	67.50	15.50	47.90
श्रमशक्ति की आपूर्ति	0.66	0.50	0.53	0.75	0.48	1.48
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	16.65	12.70	17.79	25.18	14.83	45.83
अन्य प्रचालनिक राजस्व						
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	1.59	1.21	0.89	1.26	-	-
रेलपथ का अनुरक्षण	4.49	3.42				
सीएसआर गतिविधियों का निष्पादन	1.09	0.84	3.75	5.31	1.55	4.79
कुल	**131.13**		**70.64**		**32.36**	

सेगमेंट–वार निष्पादन

वर्ष 2019–20 के दौरानकुल प्रचालनिक आय में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान 15.5% है तथा कुल प्रचालनिक आय में घरेलू परियोजनाओं का अंशदान 94.5% है।

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	2019–20		2018–19		2017–18	
	कुल आय	%	कुल आय	%	कुल आय	%
विदेशी	7.25	5.5	7.23	10.23	13.45	41.56
घरेलू	123.88	94.5	63.41	89.77	18.91	58.44
कुल	**131.13**		**70.64**		**32.36**	

शक्तियाँ

आपकी कंपनी की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह निर्माण के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धारक कंपनी के अनुभव का लाभ प्राप्त कर सकती है।

जोखिम और चिन्ता

प्रगतिरत रुप से बहुउद्देशीय परिसरों के निर्माण का कार्य पूरा होने से, इन बहुउद्देशीय परिसरों को पट्टे पर देने का कार्य आरम्भ किया गया है जो कि अत्यंत क्षेत्र विशिष्ट और बाजार आधारित है। हालांकि, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठित परामर्शदाता द्वारा बाजार संभाव्यता का गहन अध्ययन किया गया है किन्तु राजस्व एकत्रण का जोखिम अभी भी विद्यमान है, विशेष रूप से कोविड–19 महामारी की स्थिति के दौरान।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली हैं, जिसमें उचित जोखिम मूल्यांकन और शमन तंत्र की उपस्थिति पर मत प्रकट करने के अतिरिक्त पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और अनुपालन पर पर टिप्पणी करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के रुप में मैसर्स वी.एम.अरोडा एंड कंपनी, सनदी लेखाकारें को नियुक्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षकों ने आंतरिक प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच करने तथा निरंतर सुधारों के उपाय सुझाने के लिए दो चरणों में कंपनी की लेखापरीक्षाएं की हैं। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी लागत एवं प्रबंधन लेखाकार फर्म है, जिसका चयन एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है और नियुक्ति के पश्चात सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करेगा। यह आंतरिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगा। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है और इन्हें लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

मानव संसाधन

कंपनी का लक्ष्य संगठन के लिए मानव संसाधन/कर्मचारियों के सही आकार और सही मिश्रण को प्राप्त करना है। चूंकि आपकी कंपनी एक परियोजना आधारित कंपनी है, इसलिए श्रमशक्ति की आवश्यकताओं में उतार–चढ़ाव आते हैं, जिन्हें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति, ठेके और सेवा अनुबंध पर भर्ती करके पूरा किया जाता है। भर्ती नीतियों को कंपनी की समग्र नीति के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्निधारित किया गया है।

इरकानआईएसएल के कर्मचारी उन लोगों का एक संयोजन है जिन्हें कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है और कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में या परियोजना स्थल पर नियुक्त किया गया है और जो कर्मचारी इरकॉन से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी इरकॉन के मलेशिया, कोलकाता, बांग्लादेश और अल्जीरिया परियोजना को जनशक्ति भी उपलब्ध करती है। दिनांक 31 मार्च 2019 तक कंपनी की कुल श्रमशक्ति 83 कर्मचारी हैं। दीर्घकालिक विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी अपने संवर्ग विकास के माध्यम से मुख्य जनशक्ति संसाधनों को बढ़ाने की योजना बना रही है।

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त 2020

अनुबंध –ग

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

1. कंपनी का दर्शन

निगमित शासन कंपनी के व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए प्रणालियों तथा पद्धतियों की एक व्यवस्था है। यह अपने स्टेकधारकों की आकांशाओं को पूरा करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता, समानता और मूल्यों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह निरंतर प्रयास है कि व्यावसायिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के उच्चतम मानकों को अपनाया जाए तथा उन्हें बनाया रखा जाए।

2. शासन संरचना

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो कार्यप्रणाली और नीतियों का निर्धारण करता है और आवधिक रुप से कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है।

कंपनी के निष्पादन की समीक्षा धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। मंडल बैठकों के कार्यवृत्त तथा कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों और व्यवस्थाओं के विवरण तथा अलेखापरीक्षित तिमाही तथा अर्धवार्षिक परिणामों को धारक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति/ बोर्ड बैठकों के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में चार अंशकालीन निदेशकों के अतिरिक्त, धारक कंपनी ने कंपनी के दिन–प्रति–दिन के कार्यों के प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर से नीचे के एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नामित किया है।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी के संगम अनुच्छेद (ए.ओ.ए)(अनुच्छेद 48) के अनुसार, निदेशकों की संख्या तीन से कम तथा बारह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ए.ओ.ए (अनुच्छेद 49) के अनुसार, धारक कंपनी अध्यक्ष तथा सभी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों की वर्तमान संख्या चार है जिसमें धारक कंपनी इरकॉन द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों सहित अंशकालीन अध्यक्ष शामिल हैं।

3.2 इस रिपोर्ट की तारीख को निदेशकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल
(इस रिपोर्ट की तारीख तक)

निदेशक	पूर्णकालिक / अंशकालिक / स्वतंत्र	कंपनियों / निगमित निकायों में निदेशक पर (इरकॉन आईएसएल को छोड़कर)	समिति सदस्यता की कुल संख्या (इरकॉन आईएसएल सहित)	
			अध्यक्ष के रूप में	अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्य के रूप में
श्री एम.के.सिंह (डीआईएन 06607392) (10.04.2018 से)	अंशकालीन अध्यक्ष	1 [इरकॉन, आईआरएसडीसी, जेसीआरएल, इरकॉनएसटीपीएल सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, बीआरपीएल]	1	3
श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	अंशकालीन निदेशक	2 [इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन वीकेईएल]	3	1
श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	अंशकालीन निदेशक	2 [इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन वीकेईएल, इरकॉन डीएचएचएल]	1	2
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (05.04.2018 से)	अंशकालीन निदेशक	1 [आईआरएसडीसी]	शून्य	4

नोटः

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों की संख्या 20 कंपनियों की अधिकतम सीमा के भीतर है (जिनमें से सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिकतम 10)।
2. निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
3. निदेशकों का कंपनी के साथ किसी प्रकार का अंतर–संबंध या संव्यवहार नहीं है।
4. निदेशक पद / समिति की सदस्यता निदेशकों से प्राप्त अद्यतन प्रकटनों के आधार पर है।
5. समिति सदस्यता के लिए सभी सार्वजनिक निजी कंपनियों की सीएसआर एवं धारणीय विकास समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति के सदस्यों पर ही विचार किया गया है।
6. निदेशकों की समिति सदस्यता संख्या डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देश, 2010 (डीपीई सीजी दिशानिर्देश) के अंतर्गत पांच अध्यक्षों की अनुमत सीमा सहित 10 की अधिकतम सीमा के भीतर है। उक्त सीमा के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति को ही गिना जाएगा।

7. कंपनियों के पूरे नाम हैं:

क. इरकॉन – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ख. इरकॉन पीबीटीएल – इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
ग. इरकॉन एसजीटीएल – इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
घ. आईएसटीपीएल – इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
ड. इरकॉन डीएचएचएल – इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
च. इरकॉन वीकेईएल – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
छ. आईआरएसडीसी – इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ज. जेसीआरएल –झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
झ. सीईआरएल – छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
ट. सीईडब्ल्यूआरएल – छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड
ठ. एमसीआरएल – महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
ड. बीआरपीएल – बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

4. निदेशकों के संबंध में प्रकटन :

कंपनी (निदेशक की बैठकें व उनकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 के अनुसार निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन के अनुसार निदेशकों का आपस में कोई संबंध नहीं है। संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 49 के अनुसार धारक कंपनी द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन किया जाता है।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

धारक कंपनी द्वारा बोर्ड में नामित अंशकालीन निदेशक कंपनी से किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।
अंशकालीन निदेशकों को किसी प्रकार का बैठक शुल्क प्रदान नहीं किया जाता है।

6. वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल ने 21 मई 2019, 31 जुलाई 2019, 22 अक्टूबर 2019, और 05 फरवरी 2019 को चार बैठकों में भाग लिया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 167(1)(ख) के अनुसार अनुस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है।
वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों और कंपनी सचिव की उपस्थिति के विवरण निम्न प्रकार हैं :–

निदेशक	2019–20 में मंडल की बैठकों की संख्या		अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
	आयोजित (उनके कार्यकाल के दौरान)	उपस्थितियां	
श्री एम.के.सिंह	4	4	हां

(डीआईएन 06607392) (10.04.2018 से)			
श्री ए.के.गोयल (डीआईएन 05308809)	4	4	हां
श्री सुरजीत दत्ता (डीआईएन 06687032)	4	4	हां
श्री पराग वर्मा (डीआईएन 05272169) (05.04.2018 से)	4	3	हां

7 निदेशक मंडल की समितियां

7.1 लेखापरीक्षा समिति

7.1.1 संदर्भ शर्तें

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 4.90 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ रुपए (28.03.2013 से) हो गई है, जो 100 प्रतिशत इरकॉन द्वारा धारित है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने 05 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। कार्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अध्याय–4, पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा अपनाया गया था। संक्षेप में इनमें शामिल हैं:

1) कम्पनी की वित्तीय सूचना की प्रक्रिया और प्रकटन का पर्यवेक्षण करके लेखों की परिशुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है।

2) निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना। विशेष रूप से–

   क) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 134 के उपखंड 5 की शर्तों के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाली अपेक्षित सामग्री को निदेशक की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।
   ख) लेखांकन नीतियों तथा पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो व इसके कारण।
   ग) प्रबंधन द्वारा विवेक के प्रयोग के आधार पर अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
   घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ड.) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।
   च) किसी संबंधित पक्षों के संव्यवहार का प्रकटन।
   छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता आदि।

3) निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
4) प्रचालनों की वित्तीय स्थिति तथा परिणामों पर प्रबंधन द्वारा चर्चा व विश्लेषण।
5) आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6) महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान व उन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु दोनों लेखा परीक्षकों – आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा।

7) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, स्टाफिंग तथा विभागों के कार्यालय प्रमुखों की वरियता, रिपोर्टिंग ढांचा, कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्ता की समीक्षा करना।

8) लेखापरीक्षा शुल्कों के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

9) आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पुनःनियुक्ति, पारिश्रमिक तथा निलंबन आदि की समीक्षा करना।

10) मुख्य कार्यपालक/वित्त प्रमुख द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणन/घोषणा की समीक्षा करना।

7.1.2 लेखापरीक्षा समिति– संरचना और उपस्थिति

कार्पोरेट शासन पर दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 से पैरा 4.5 में निर्धारित अनुसार शर्तों का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की स्वीकृति से दिनांक 05.07.2013 को मूल रुप से तीन अंशकालीन निदेशकों वाली बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था। धारक कंपनी द्वारा नामित अंशकालीन निदेशकों में जब कभी परिवर्तन किए जाते हैं तो इस समिति का पुनर्गठन किया गया जाता है। तदनुसार, सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट के माध्यम से दिनांक 26.04.2018 को समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसकी दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक पुष्टि की गई थी।

समिति की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

श्री सुरजीत दत्ता – अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री ए.के.गोयल – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री पराग वर्मा – सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं थीं अर्थात 21 मई 2019, 31 जुलाई 2019, 22 अक्तूबर 2019, तथा 05 फरवरी 2020.

उपस्थिति की ब्यौरा निम्नानुसार है:

सदस्य	पद	बैठकों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान)	बैठक में उपस्थिति
सुरजीत दत्ता	अध्यक्ष	4	4
ए.के.गोयल	सदस्य	4	4
पराग वर्मा	सदस्य	4	3

7.2 निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर

या 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले प्रत्येक कंपनी, बोर्ड स्तर की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 12 अप्रैल 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा या किसी स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता संबंधी नीतियों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट, जिसकी दिनांक 26 जून 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 22वीं बैठक में पुष्टि की गई थी, द्वारा कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा कंपनी के सीएसआर एजेंडा को वांछित दिशा की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा पद्धितियों के निर्माण में निदेशक मंडल को सहयोग प्रदान करने हेतु सीएसआर नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 13 जून, 2014 को सीएसआर के लिए एकीकृता निदेशक मंडल समिति का गठन किया गया है।

सभी बोर्ड सदस्यों को परिपत्रित नोट, जिसकी दिनांक 26.04.2018 को आयोजित निदेशक मंडल की 43वीं बैठक में पुष्टि की गई थी, द्वारा समिति का पुनर्गठन किया गया था। समिति की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

श्री ए.के.गोयल	–	अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री सुरजीत दत्ता	–	सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री पराग वर्मा	–	सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिनांक 22 अक्तूबर 2019 को सीएसआर समिति की एक बैठक का आयोजित की गई थी। इस बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

7.3 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 के अनुसार, 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी, या 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर या 50 करोड़ रुपए या अधिक के समग्र बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या डिपाजिट करने वाले प्रत्येक कंपनी, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी। इस समिति में तीन या अधिक गैर कार्यपालक निदेशक होंगे जिनमें से आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। इसके अतिरिक्त, दिनांक 14 मई, 2010 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम के लिए पारिश्रमिक समिति पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक सीपीएसई में एक पारिश्रमिक समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक होंगे, और वे सभी अंशकालीन निदेशक होंगे (यथा नामिती और स्वतंत्र निदेशक), और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी ।

संदर्भ शर्तें

क. दिनांक 26 नवंबर 2008 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्यपालकों और गैर–यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल तथा इसके संवितरण की नीतियां निर्धारण करना।

ख. निर्धारित मापदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधनकी नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों का हिह्नन/चयन हेतु नीतयों को तैयार करना और उनकी समीक्षा तथा उनके चयन और उन्हें हटाने के लिए मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक के संबंध में उनके स्तर और पारिश्रमिक का निर्धारण करना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के संबंध में मानव संसाधन नीति (नीतियों) की समीक्षा, विचार और सिफारिश करना।

ड. समय–समय पर कंपनी अधिनियम या डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा शामिल कोई अन्य कार्य।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 तथा डीपीई जीसी दिशानिर्देश, 2010 के पैरा 5.1 के अनुसरण में 28 अगस्त, 2015 को एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।समिति की संरचना निम्नानुसार है:

श्री ए.के.गोयल	–	अध्यक्ष के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री सुरजीत दत्ता	–	सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक
श्री पराग वर्मा	–	सदस्य के रुप में अंशकालीन निदेशक

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की कोई बैठक नहीं हुई है।

8. सामान्य आम बैठक

8.1 वार्षिक आम बैठक

क. पिछली 3 (तीन) वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

वार्षिक आम बैठक की संख्या	वित्त वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल
10वीं	2018–19	27 अगस्त 2019	1100	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
9वीं	2017–18	25 सितंबर 2018	1100	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
8वीं	2016–17	25 सितंबर 2017	1600	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (2016–17 से 2018–19) में कोई विशेष संकल्प अपेक्षित या पारित नहीं किया गया है।

8.2 असाधारण आम बैठक

क. पिछली 3 (तीन) असाधारण आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं थीं:

असाधारण आम बैठक संख्या	वित्त वर्ष के दौरान	बैठक की तिथि	समय	स्थल
चौथी	2014–15	20 फरवरी 2015	1700	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
तीसरी	2012–13	22 जनवरी 2013	1430	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली
दूसरी	2011–12	12 मार्च 2012	1430	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, दिल्ली

ख. विशेष संकल्प

(क) चौथी असाधारण आम बैठक 20 फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी।

प्राधिकृत शेयर पूंजी को 40 करोड़ से बढ़ाकर 65 करोड़ करने के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ख) तीसरी असाधारण आम बैठक 22 जनवरी 2013 को आयोजित की गई थी।

(i) प्राधिकृत शेयर पूंजी को 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ करने के लिए कंपनी के संगम अनुच्छेद में परिवर्तन।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) से लिए गए ऋण के 35,10,00,000 रुपए के स्तर तक के भाग को प्रत्येक 10 रुपए के 3,51,00,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करना।

(ग) दूसरी असाधारण आम बैठक 12 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।
उद्देश्य खंड III क (मुख्य उद्देश्य) में नए उप खंडों को शामिल करके समझौता ज्ञापन में परिवर्तन किया गया।

9. प्रकटन

9.1 वर्ष के दौरान निदेशकों या उनके संबंधितयों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का संव्यवहार नहीं हुआ है, जिसका कंपनी के हित प्रभावित हुआ हो। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में नोट सं. 33 में निर्धारित संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों के प्रकटन की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

9.2 वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (विस्तृत विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रुप में नोट सं 33 में भी प्रकटित) के अनुसार प्रमुख कार्यपालकों को भुगतान

हेतु पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

9.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा वित्तीय व्यय की तुलना में नीचे दर्शाया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**2019-20**	**2018-19**	**टिप्पणियां**
प्रशासनिक व्यय	3.27	3.53	शून्य
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर	0.06	0.05	शून्य
कुल व्यय	120.65	59.22	शून्य
प्रशासनिक तथा अन्य व्यय /कुल व्यय (प्रतिशत में)	2.71%	5.96%	शून्य
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.05%	0.08%	

9.4 कंपनी आवधिक रुप से जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं से संबंधित जोखिमों और विदेशी विनिमय प्रबंधन के विषय में बोर्ड को सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित ब्यौरा ''जोखिम एवं चिंता'' शीर्षक के अंतर्गत प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

9.5 कंपनी की सम्पूर्ण इक्विटी पूंजी यथा 65,00,00,000 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) द्वारा धारित है।

9.6 किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिषा–निर्देषों के अनुपालन न किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है और पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिषा–निर्देषों से संबंधित किसी मुद्दे पर कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

9.7 डीपीई ने वर्ष 2018–19 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट शासन दिशानिर्देशों के अनुसपालन के लिए इरकॉन आईएसएल को उत्कृष्ट ग्रेडिंग प्रदान की है।

9.8 डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन आईएसएल ने वर्ष 2019–20 के लिए 100 में से 97.62 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

9.9 संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया है और कंपनी के वित्तीय विवरण के नोटों में संगत लेखांकन मानक की अपेक्षा के अनुसार इसे प्रकट किया गया है।

9.10 कंपनी में सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालनों की मॉनीटरिंग की प्रणालियां विद्यामन हैं। बोर्ड को इस स्थिति से अवगत कराया गया है ताकि कंपनी के सभी लागू नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी ने वित्तीय विवरणों की सत्यता तथा सटीकता, देय अनुपालनों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसे लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में लिखित रुप में प्रमाणित किया है। (इस रिपोर्ट के **अनुबंध "ग–1"** पर संलग्न है)।

11. आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता उपलबध है जो कंपनी की वेबसाइट पर है। वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **इस रिपोर्ट के संलग्नक "ग–2"** पर उपलब्ध है।

12. शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

12.1 सम्प्रेषण के माध्यम

इरकॉन आईएसएल की वर्ष 2019–2.0 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.irconisl.com पर तथा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध हैं।

12.2 चालू वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक

तारीख : 18 सितंबर 2020
समय: 11.00 बजे पूर्वाहन
स्थान: कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का बोर्ड कक्ष,
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110007

12.3 श्रेणीवार शेयरधारक पैटर्न (इस रिपोर्ट की तिथि को)

श्रेणी	भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या (10 रु. प्रति शेयर)	शेयरधारण का प्रतिशत
प्रवर्तक (इरकॉन इंटरनेशनल लि. और इसके आठ नामिति)	6,50,00,000	100 प्रतिशत
कुल	6,50,00,000	100 प्रतिशत

धारक कंपनी द्वारा पदधारियों को बदले जाने के परिणामस्वरूप किसी नामिती शेयरधारक से दूसरे शेयरधारकों को शेयरों का अंतरण करना सामान्यतः एक तकनीकी कार्य है क्योंकि 100

प्रतिशतशेयर धारक कंपनी के हैं। इन शेयरों का अंतरण करने के लिए सीईओ एक प्राधिकृत अधिकारी है और कोई अंतरण बाकी नहीं हैं।

12.4 संप्रेषण का पता

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है:
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत, नई दिल्ली–1100017
टेलीफोन : 29565666
फैक्स : 26854000
ई–मेल : info@irconisl.com
वेबसाईट : www.irconisl.com

13. निगमित शासन पर अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2019–20 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के संबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **संलग्नक ''ग–2''**पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त 2020

अनुबंध ग–1

मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्त अधिकारी प्रमाणन

हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय विवरणों एवं तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:–

(i) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक विवरण को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं हैं।

(ii) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुपालन के अनुरुप हैं।

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(iv) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उतरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(v) हमने वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है, और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

(vi) हमारी जानकारी में धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

ह/–
श्री अजय पाल सिंह
मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)

ह/–
सुश्री पूजा चौरसिया
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19 अगस्त 2020

अनुबंध–ग2

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा।

मैं, एम.के.सिंह अध्यक्ष, इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अश्पिुष्टि की गई है।

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त 2020

अनुबंध ग–3

संतोष पांडे एंड एसोसिएट्स
पेशेवर कम्पनी सचिव

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निगमित शासन पर डी.पी.ई के दिशानिर्देशों के अनुपालन संबंधित प्रमाणपत्र

सेवा में,
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड के सदस्य,
नई दिल्ली,

हमने अपकी कंपनी के संबंध में समय–समय पर डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम हेतु निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उन क्रिया विधियों और उनके क्रियान्वयन तक सीमित है जिन्हें कंपनी ने कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के साथ कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन के संबध में सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों का सभी दृ ष्टिकोणों से निगमित शासन की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

यह भी अवलोकन किया गया था कि डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार स्वतत्र निदेशकों के रूप में इसके बोर्ड में एक–तिहाई निदेशक होने चाहिए। तथापि, यह उल्लेख किया गया है कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए दिनांक 05.07.2017 के एमसीए अधिसूचना के तहत छूट प्रदान की गई है और दिनांक 16 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. 18(7)/2013–जीएम के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग यदि चाहे तो सीपीएसई में सहायक कंपनी के बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशकों की नियुक्ति कर सकता है।

हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते संतोष पांडे एंड एसोसिएट्स

ह/–
सीए संतोष पांडे
सदस्यता संख्या–ए40908
सी.ओ.पी सं.15211
यूडीआईएनः ए040908बी000478763

परिशिष्ट–च

फार्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,
मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

मैने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा)द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे मैनें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृतप्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि मेरे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएंभी हैं और उस स्तर तकतथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर है:

मैं निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियमः (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यपाक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011. (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 1992 (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन तथा कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं), और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 1998 (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

(vi) कंपनी ने निम्नलिखित अन्य कानूनों की पुष्टि की है जो विशिष्ट रूप से कंपनी पर लागू हैं :

(क) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

(ख) लागू स्तर तक संबंधित श्रम कानून।

(ग) लागू स्तर तक संबंधित पर्यावरण कानून

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

(क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायितव एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, (वित्तीय अवधि के दौरान लागू नहीं)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। यह उल्लिखित है कि वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का बजट 20,47,192/– रूपए का था और सीएसआर गतिविधियों पर आवंटित की गई राशि 20,30,240/– रु. थी और व्यय न की गई राशि 16,952/– है। इसके अतिरिक्त, देश में कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति की वजह से सीएसआर गतिविधियों में विलंबर हुआ है।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल का उपर्युक्त अवलोकनों के मद्देनजर गैर कार्यपालक निदेशक (नामिति) के उचित शेष के साथ विधिवत रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुए थे।

डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के खंड 3.1.3 के अनुसार, नामांकित निदेशकों की अधिकतम संख्या दो निदेशकों तक सीमित रहेगी। तथापि, यह अवलोकन किया गया था कि बोर्ड में नामिति निदेशकों की संख्या सीमा से अधिक है।

कंपनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। एमसीए अधिसूचना ''कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियम, 2017 दिनांक 5 जुलाई, 2017 के तहत'' कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षासे छूट दी गई है।

सभी निदेशकों को उपयुक्त नोटिस दिया गया है कि वे समिति बैठकों के साथ बोर्ड बैठकों की अनुसूची तैयार करें तथा सात दिन या उससे कम अवधि के पूर्व नोटिस पर कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर कोई अन्य सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा निदेशको द्वारा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी की प्रणाली विद्यमान है।

प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के रूप में बोर्ड बैठकों के निर्णय एकमत से लिए जाते हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों सहित लागू वित्तीय कानूनों का अनुपालन इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं किकंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं किलेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी में कोई विशिष्ट घटनाएं/क्रियाएं नहीं हुई हैं जिनका कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रमुख प्रभाव पड़ा है:

कृते कंचन साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
कंचन कुमारी साह
भागीदार
एफसीएस:40907
सीपी सं.:15309
यूडीआईएन: ए040907बी000325499

दिनांक: 08.06.2020
स्थान: दिल्ली

(इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ाजाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

टिप्पणी:

देश में वर्तमान कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण, रिकार्डों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका है। तथापि, यथासंभव स्तर तक ऐसे दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन किया गया है।

अनुबंध–क

सेवामें,

सदस्य,

मैसर्स इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,

प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

हमारी समतिथिक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढाजाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरा उत्तरदायित्व हमारे निष्कर्षों/लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

2. मैने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। मेरा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं,मेरे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. मैने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्वप्राप्त किया है।

5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। मेरीजांचपरीक्षण आधार परप्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूणता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।

कृते कंचना साह एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
कंचना कुमारी साह
भागीदार
एफसीएस:40907
सीपी सं.:15309
यूडीआईएनः ए040907बी000325499

दिनांकः 08.06.2020

स्थानः दिल्ली

अनुबंध–ड.

फॉर्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष को

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1)के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौराः

सीआईएन	यू 45400डीएल2009जीओआई194792
पंजीकरण तिथि	30 सितंबर, 2009
कंपनी का नाम	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	प्लॉट सं सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017 दूरभाष 011–29565666
क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	लागू नहीं

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियां:

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/ सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) आदि के अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में नियोजन, अभिकल्पन, विकास, सुधार, कार्य आरंभ, प्रचालन और अनुरक्षण आदि करने हेतु।	6810	12.70 प्रतिशत
2	परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजना	7110	87.30 प्रतिशत

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरणः

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/ सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	यू45203डीएल1976जीओआई008171	धारक कंपनी	100 प्रतिशत	2(46)

IV.शेयर धारिता पैटर्न:

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारित

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) निकाय निगम	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–
ड.) बैंक/वित्तीय संस्थान		–	–	–	–	–	–	–	–
च) कोई अन्य		–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (क) (1)	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–
(2) विदेशी									
क) एनआरआई – व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) अन्य – व्यक्तिगत									
ग) निकाय निगम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ड.) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप कुल (क) (2)	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	शून्य	–
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–	6,50,00,000	6,50,00,000	100%	–
ख. जन शेयरधारिता									
(1) संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क) म्यूचुवल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड.) उपक्रम पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
छ) एफआईआई			–	–	–	–	–	–	–
ज)विदेशी उपक्रम पूंजी निधियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उपकुल (ख)(1):		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(2) गैर संस्थागत									
क) निकाय निगम									
i) भारतीय	–	–			–	–	–	–	–
ii) विदेशी	–	–			–	–	–	–	–
ख) व्यक्तिगत	–	–			–	–	–	–	–
व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1लाख रुपए तक समान्य शेयर पूंजी का धारण	–	–			–	–	–	–	–
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक समान्य शेयर पूंजी का धारण	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)	–	–	–	–	–	–		–	–
उप कुल (ख)(2)	–	शून्य	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जन शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	–	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	.	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सकल योग (क +ख +ग)		**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–	**6,50,00,000**	**6,50,00,000**	**100%**	–

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों मे प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और इसके 6 नामिति	6,50,00,000	100%	–	6,50,00,000	100 %	–	100%
	कुल	**6,50,00,000**	**100%**	–	**6,50,00,000**	**100%**	–	**100%**

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

विवरण	**वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता**		**वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता**	
	शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत**
वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			
वर्ष के अंत में	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं			

iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर के धारकों से इतर):

प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि):				
वर्ष के अंत में (या पृथक होने की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए हैं)				

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक और केएमपी हेतु	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
वर्ष के आरंभ में	शून्य			
वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस /स्वेट इक्विटी आदि) वर्ष के दौरान तिथिवार वृद्धि/कमी :				
वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्तता :

बकाया ब्याज/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता :

(करोड़ रुपए में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	–	शून्य	–	शून्य
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	शून्य	–	शून्य
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	शून्य	–	शून्य
कुल (i+ii+iii)	–	शून्य	–	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- परिवर्धन	–	शून्य	–	शून्य
- कमी	–	शून्य	–	शून्य
निवल परिवर्तन	–	शून्य	–	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	–	शून्य	–	शून्य
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	–	शून्य	–	शून्य
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	–	शून्य	–	शून्य

कुल (i+ii+iii)	–	शून्य	–	शून्य

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक *:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (2017–18 के सम्पूर्ण वर्ष में)					कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य						
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ						
2	स्टॉक विकल्प				लागू नहीं		
3	स्वेट इक्विटी						
4	अन्य के लाभ का प्रतिशत बतौर कमीशन, उल्लेख करें						
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल (क)						
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

***इरकॉन आईएसएल के बोर्ड में धारक कंपनी द्वारा नामित 4 अंशकालीन निदेशक हैं जो कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। अंशकालीन निदेशकों को कोई बैठक शुल्क नहीं दिया जाता है।**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क						
	कमीशन						
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)						
	कुल (1)						
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक						
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क			लागू नहीं			
	कमीशन						
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें						
	कुल (2)						
	कुल (ख) = (1 + 2)						
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक						
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा						

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के नाम			
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य वित्त अधिकारी	कंपनी सचिव	कुल राशि
1	सकल वेतन	36,48,221	15,39,720	5,43,760	**57,31,701**
(क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				
(ख)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2)के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य				
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	
4	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	–लाभ के % के रूप में				
	–अन्य, स्पष्ट करें				
5	अन्य, स्पष्ट करें				
	क) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	9,58,086	4,30,438	21,600	**14,10,124**
	ख) निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	6,87,280	2,42,094	-	**9,29,374**
	ग) अन्य लाभ	45,929	10,789	-	**56,718**
	कुल	**53,39,516**	**22,23,041**	**5,65,360**	**81,27,917**
	अधिनियम के अनुसार सीमा				

VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कंपाउंडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सज़ा/कंपाउंडिंग फीस का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग			शून्य		
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड					
सज़ा					
कंपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(एम.के.सिंह)
(अध्यक्ष)
(डीआईएन 06607392)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त 2020

फार्म सं–एओसी–2

अनुबंध–च

फार्म सं– एओसी–2

वर्ष 2019–20 (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

1 संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : **शून्य**

2 सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं

क्र.सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं/व्यवस्थाओं/संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	निगमित कार्यालय किराया करार	01.04.2019 से 31.03.2021	प्रतिमाह निगमित कार्यालय किराया 1,47,662 रूपए है जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है (वर्ष 2019–20 के लिए देय कुल निगमित कार्यालय किराया 17,14,360 रूपए है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है)	लागू नही	
2	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	इरकॉन की मलेशिया परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति करार	श्रमशक्ति करार दिनांक 31.07.2020 तक वैध है	वर्ष 2019–2020 के लिए कुल श्रमशक्ति बिल 30,60,999 रूपए है	लागू नही	
3	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	फरवरी 2020 से बांग्लादेश परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति करार	17.02.2020 से 06.02.2021	वर्ष 2019–2020 के लिए कुल श्रमशक्ति बिल 7,48,964 रूपए है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है	लागू नही	

4	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	इरकॉन की कोलकाता परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति करार	श्रमशक्ति करार दिनांक 08.01.2021 तक वैध है	वर्ष 2019–2020 के लिए कुल श्रमशक्ति बिल 6,73,486 रूपए है, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है	लागू नही	
5	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	इरकॉन की अल्जीरिया परियोजना हेतु श्रमशक्ति आपूर्ति करार	श्रमशक्ति करार दिनांक 30.09.2020 तक वैध है	वर्ष 2019–2020 के लिए कुल श्रमशक्ति बिल 20,89,435 रूपए है,	लागू नही	
6	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	इरकॉन बिहार क्यूल गया दोहरीकरण परियोजना और इरकॉन बिहार हाजीपुर बछवाडा परियोजना को डौमैटिक टेम्परिंग मशीन पट्टे पर देना	16.10.2019 से 15.10.2020	वर्ष 2019–2020 में डौमैटिक टेम्परिंग मशीन पट्टे पर देना हेतु इरकॉन बिहार क्यूल गया परियोजना के लिए 57,86,206 और इरकॉन बिहार हाजीपुर बछवाडा परियोजना के लिए 54,44,416 रूपए, जिएसटी को छोडकर	लागू नही	
7	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	फरवरी 2019 से जुलाई 2019 तक इरकॉन सीईआरएलप परियोजना को डौमैटिक टेम्परिंग मशीन पट्टे पर देना	फरवरी 2019 से जुलाई 2019 (20.07.2019 को निष्पादित करार)	वर्ष 2019–2020 में इरकॉन सीजीआरपी परियोजना को डौमेटिक मशीन के कुल पट्टा बिल 46,26,680 रूप्ए है जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है	लागू नही	
8	**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी)**	रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास	निष्पादन तिथि 30.12.2019 है। एमओए सभी आवंटित परियोजनाओं के निष्पादन तक प्रवर्तनीय है	इरकॉन ने 5.22 प्रतिशत जीएमसी शुल्क जमा जीएसटी पर इरकॉन आईएसएल को कार्य सौंपा है	लागू नही	

वित्तीय विवरण

अनुबंध–3

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन आईएसएल की वित्तीय विशेषताएं

(रूपए लाभ में)

विवरण	2019-2020	2018-19	2017-18	2016-2017	2015-2016
प्रचालनिक आय	13,113.00	7,064.00	3,235.51	4,098.22	7,404.72
अन्य आय	438.00	570.00	676.33	625.51	782.65
कुल आय (1+ 2)	**13,551.00**	**7,634.00**	**3,911.85**	**4,723.73**	**8,187.37**
व्यय	12,065.00	5,913.00	2,101.22	2,643.20	5,926.33
प्रचालनिक मार्जिन (पीबीडीआईटी)	1,782.00	2,037.00	2,365.75	2,705.60	2,956.62
ब्याज व्यय	6.00	5.00	137.79	263.39	391.09
मूल्यह्रास	290.00	311.00	417.33	361.68	304.49
कर पूर्व लाभ	**1,486.00**	**1,721.00**	**1,810.63**	**2,080.53**	**2,261.04**
कर पश्चात लाभ	**1,150.00**	**1,404.00**	**1,365.38**	**1,236.28**	**1,422.28**
अन्य इक्विटी	8,889.00	7,739.00	6,335.29	4,969.91	3,733.64
दीर्घकालीन ऋण	-	-	-	1,834.00	2,521.00
शेयर पूंजी	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
निवल परिसंपत्ति	**15,389.00**	**14,239.00**	**12,835.29**	**11,469.91**	**10,233.64**

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

तुलन पत्र

31 मार्च 2020 को

(रूपए करोड में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
I.	परिसंपत्ति					
1	गैर वर्तमान परिसंपत्तियां					
	(क) संपत्ति, संयत्र और उपकरण	3	5.05		5.72	
	(ख) पूंजीगत प्रगतिरत कार्य	4	2.30		2.23	
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	5	85.12		87.59	
	(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां	6				
	(i) ऋण	6.1	0.03		0.05	
	(ii) अन्य	6.2	0.29		2.46	
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1	-		-	
				92.79		98.05
2	**चालू पारेसंपात्तियां**					
	(क) दरसूचियां	8	0.01		-	
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	9				
	(i) व्यापार प्राप्य राशियां	9.1	57.01		63.44	
	(ii) नकद और नकदी समतुल्य	9.2	102.10		0.73	
	(iii) बैंक शेष उपरोक्त (ख) के अलावा	9.3	47.68		134.33	
	(vi) अन्य	9.4	0.09		0.09	
	(v) अन्य	9.5	3.40		14.16	
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	10	0.49		6.61	
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	19.95		0.81	
				230.73		220.17
	कुल पारेसंपात्तियां		**323.52**		**318.22**	
II.	**इक्विटी और देयताएं**					
1	इक्विटी					
	(क) कुल इक्विटी शेयर	12	65.00		65.00	
	(ख) अन्य इक्विटी	13	88.89	153.89	77.39	142.39
2	**देयताएं**					
(i)	**गैर वर्तमान देयताएं**					
	(क) वित्तीय देयताएं	14				
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	14.1	13.51		4.14	
	(ख) प्रावधान	15	0.25		0.16	
	(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	1	4.53		17.37	
	(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	16	30.28	48.57	31.76	53.43
4	**चालू देयताएं**					
	क) वित्तीय देयताएं	17				
	(i) व्यापार प्राप्य					
	- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		3.80		1.91	
	- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से इतर ऋणदाताओं के कुल बकाया देय		8.39		13.20	
	(ii) अन्य वर्तमान देयताएं	17.2	10.27		5.56	
	(ख) चालू कर देयताएं (निवल)	18	-		-	
	(ग) अन्य चालू देयताएं	19	98.52		101.68	
	(घ) प्रावधान	20	0.08	121.06	0.05	122.40
	कुल इक्विटी और देयताएं		**323.52**		**318.22**	
III.	**वित्तीय विवरणों के संलग्न नोटों को देखें**					

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 0508095एन

ह/–
सीए कोमल सिंह चौधरी
(साझेदार)
स.सं. 086854

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020
यूडीआईएनः 20086854एएएएसीएफ5440

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–	**ह/–**	**ह/–**
पूजा चौरसिया	**अजय पाल सिंह**	**मनीषा गोले**
सी.एफ.ओ	**सी.ई.ओ**	**कंपनी सचिव**

ह/–	ह/–
सुरजीत दत्ता	**एम के सिंह**
निदेशक	**अध्यक्ष**
(डीआईएन– 06687032)	**(डीआईएन– 06687032)**

लाभ एवं हानि विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
	राजस्व :			
I	प्रचालनों से राजस्व	21	131.13	70.64
II	अन्य आय	22	4.38	5.70
III	**कुल आय (I + II)**		135.51	76.34
IV	**व्यय:**			
	प्रचालनिक आय	23	102.78	44.23
	कर्मचारी लाभ व्यय	24	11.64	8.29
	वित्तीय लागतें	25	0.06	0.05
	मूल्यह्रास एवं परिशोधित व्यय	26	2.90	3.11
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	27	3.27	3.45
	कुल व्यय (IV)		120.65	59.13
V	**आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ/घाटा (I - IV)**		14.86	17.21
VI	आपवादिक मदें			
VII	कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)		14.86	17.21
VIII	कर व्यय	7		
	(1) चालू कर			
	–वर्ष हेतु		4.39	3.71
	–पूर्ववर्ती वर्षों हेतु (निवल)		11.80	-
	(2) आस्थगित कर (निवल)		-12.84	-0.54
	कुल कर व्यय (VIII)		3.35	3.17
IX	**निरंतर प्रचालन से इस अवधी के लिए लाभ/(हानि)(VII - VIII)**		11.51	14.04
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)			
XI	बंद प्रचालनों के कर व्यय			
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)			
XIII	**अवधि के लिए लाभ/(हानि)** (IX+XII)		**11.51**	**14.04**
XIV	**अन्य वृहत आय**	28		
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-0.01	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुनवर्गीकृत किया जाएगा			
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ और हानि में पुनवर्गीकृत किया जाएगा			
			-0.01	-
XV	**अवधि के लिए कुलप वृहत आय (IX +X)(अवधि के लिए वृहत लाभ और अन्य वृहत आय)**		**11.50**	**14.04**
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी:			
	(निरंतर प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल	29	1.77	2.16
	(2) विलयित		1.77	2.16
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 0508095एन

ह/–
सीए कोमल सिंह चौधरी
(साझेदार)
स.सं. 086854

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020
यूडीआईएन: 20086854एएएएसीएफ5440

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–	**ह/–**	**ह/–**
पूजा चौरसिया	**अजय पाल सिंह**	**मनीषा गोले**
सी.एफ.ओ	**सी.ई.ओ**	**कंपनी सचिव**

ह/–	ह/–
सुरजीत दत्ता	**एम के सिंह**
निदेशक	**अध्यक्ष**
(डीआईएन– 06687032)	**(डीआईएन– 06687032)**

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रूपए करोड में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
कर निर्धारण से पूर्व निवल लाभ		14.86		17.21	
समायोजन हेतु					
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि		2.90		3.11	
परिसंपत्तियों (निवल) के निपटान पर घाटा/(लाभ)		-		0.03	
वित्तीय लागते		-		-	
ब्याज आय		-3.98		-4.97	
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों और देयताओं से पूर्व प्रचालनिक लाभ	(1)	**13.78**		**15.38**	
समायोजन हेतु					
इंवेंटरियों में कमी/(वृद्धि)		-0.01		-	
व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)		6.43		-25.40	
सीसीई के अतिरिक्त बैंक शेषों में कमी/(वृद्धि)		86.65		-92.61	
ऋणों में कमी/(वृद्धि)		-		-0.03	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		10.76		-10.00	
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		-19.14		-0.50	
गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		0.02		-0.05	
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		2.17		1.35	
अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएं में कमी/(वृद्धि)		-1.48		0.28	
प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		0.08		0.13	
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		-		-	
व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)		-2.92		14.11	
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/(वृद्धि)		14.08		4.59	
अन्य चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)		-3.16		78.85	
प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)		0.03		0.02	
	(2)	**93.51**		**-29.26**	
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)	**107.29**		**-13.88**	
प्रदत्त आयकर		-10.07		-3.29	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	(क)		**97.22**		**-17.17**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह					
पीपीपी, अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त पर पूंजीगत व्यय		-0.23		-0.21	
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री		0.40		0.14	
वर्ष के दौरान प्रदान पूंजी अग्रिम				-	
प्राप्त ब्याज		3.98		4.98	
निवेश गतिविधियों से निवल रोकड़	(ख)		**4.15**		**4.91**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त धन		-		-	
उधारों से प्राप्त धन		-		-	
वित्तीय लागत		-		-	
लाभांश (लाभांश संवितरण कर सहित) प्रदत्त		-		-	
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड़	(ग)		-		-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों में निवल वृद्धि(कमी)	(क. ख. ग)		**101.37**		**-12.26**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (आरंभिक)	(ड.)		**0.73**		**12.99**
रोकड़ शेष			0.01		0.01
बैंकों में शेष			-		-
चालू खाते			0.52		1.47
–फलैक्सी खाते			0.20		11.50
अल्पकालीन निवेश			-		-
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (अंतिम)	(च)		**102.10**		**0.73**
रोकड़ शेष			0.01		0.01
पारगमन में निधियां			0.19		-
बैंकों में शेष					
चालू खाते			0.46		0.52
–फलैक्सी खाते			34.44		0.20
तीन महीनों से कम में परिपक्व होने वाली एफडीआर			67.00		-
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(च–ड.)		**101.37**		**-12.26**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 0508095एन

ह/–
सीए कोमल सिंह चौधरी
(साझेदार)
स.सं. 086854

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020
यूडीआईएन: 20086854एएएसीएफ5440

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–
पूजा चौरसिया
सी.एफ.ओ

ह/–
अजय पाल सिंह
सी.ई.ओ

ह/–
मनीषा गोले
कंपनी सचिव

ह/–
सुरजीत दत्ता
निदेशक
(डीआईएन– 06687032)

ह/–
एम के सिंह
अध्यक्ष
(डीआईएन– 06687032)

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792
31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी परिवर्तन विवरण

(रूपए करोड में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	शेयरों की सं.	राशि
31 मार्च 2019 को शेष	**6.50**	**65.00**
जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर		-
31 मार्च 2020 को शेष	**6.50**	**65.00**

ख. अन्य इक्विटी

(रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित तथा अतिरेक			
	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आमदनी	कुल
1 अप्रैल 2019 को शेष	-	77.39	-	**77.39**
लेखांकन नीतियों या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनवर्णित शेष	-	**77.39**	-	**77.39**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	11.51	**11.51**
अन्य वृहत आय	-	-	-0.01	**-0.01**
कुल वृहत आय	-	-	**11.50**	**11.50**
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	-11.50	**-11.50**
वर्ष के दौरान जमा	-	11.50	-	**11.50**
वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति/जारी	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को शेष	-	**88.89**	-	**88.89**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 0508095एन

ह/–
सीए कोमल सिंह चौधरी
(साझेदार)
स.सं. 086854

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020
यूडीआईएन: 20086854एएएएसीएफ5440

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–	ह/–	ह/–
पूजा चौरसिया	**अजय पाल सिंह**	**मनीषा गोले**
सी.एफ.ओ	**सी.ई.ओ**	**कंपनी सचिव**

ह/–	ह/–
सुरजीत दत्ता	**एम के सिंह**
निदेशक	**अध्यक्ष**
(डीआईएन– 06687032)	**(डीआईएन– 06687032)**

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(रूपए करोड में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी	शेयरों की सं.	राशि
31 मार्च 2018 को शेष	**6.50**	**65.00**
जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर		
31 मार्च 2019 को शेष	**6.50**	**65.00**

ख. अन्य इक्विटी

(रूपए करोड में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			
	शेयर पूंजी राशि लंबित आवंटन	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधरित आमदनियां	कुल
1 अप्रैल 2018 को शेष	-	**63.35**	-	**63.35**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनवर्णित शेष	-	**63.35**	-	**63.35**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	**14.04**	14.04
अन्य वृहत आय	-	-	-	-
कुल वृहत आय	-	-	**14.04**	**14.04**
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-	**-14.04**	-14.04
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	**14.04**	-	14.04
वर्ष के दौरान प्रतिपूर्ति/जारी	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को शेष	-	**77.39**	-	**77.39**

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 0508095एन

ह/–
सीए कोमल सिंह चौधरी
(साझेदार)
स.सं. 086854

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020
यूडीआईएन: 20086854एएएसीएफ5440

निदेशक मंडल के निमित्त और की ओर से

ह/–	ह/–	ह/–
पूजा चौरसिया	**अजय पाल सिंह**	**मनीषा गोले**
सी.एफ.ओ	**सी.ई.ओ**	**कंपनी सचिव**

ह/–	ह/–
सुरजीत दत्ता	**एम के सिंह**
निदेशक	**अध्यक्ष**
(डीआईएन– 06687032)	**(डीआईएन– 06687032)**

नोट 1:निगमित सूचना

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कंपनी भारत में आधारित है और इसे भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित किया गया है। आरंभ में कंपनी का निगमन रेलवे प्रयोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों के के निर्माण और विकास के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने धीरे–धीरे धारित कंपनी सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए अवसंरचना परामर्श परियोजनाओं, डीपीआर एवं एफएस तैयार करना, परियोजना प्रबंधन परामर्श परियोजनाओं, श्रमशक्ति आपूर्ति, संयंत्र एवं मशीनरी का पट्टाकरण, बहुउद्देशीय परिसरों को उप पट्टे पर देने तथा सीएसआर परियोजनाओं का कार्य भी आरंभ किया है। कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के बाजारों में कार्य कर रही है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 03.07.2020 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

नोट 2: इंड एस (स्टेंडएलोन) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

2.1तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची–3 के भाग–2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के

लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2..2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

2.2.1चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

- किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :
- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए बारह माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

<u>स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन</u>

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का कापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष)
संयंत्र एवं मशीनरी	12 वर्ष
कम्प्यूटर्स	03 वर्ष
फर्नीचर एवं जुड़नार	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	05 वर्ष
प्रयोगशाला उपकरण	10 वर्ष
वाहन	10 वर्ष

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में

किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण

अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है।

अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्यह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की

वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों को प्रयोग के लिए उनके उपलब्ध होने की तिथि से सीधी रेखा आधार यपर उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैः

अमूर्त परिसंपत्तियां	उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित या स्वःसृजित
पट्टा अधिकार	एमएफसी का उपयोगी जीवनकाल	आंतरिक रूप से सृजित

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

पट्टाधारी भूमि और उनमें सुधारों को अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और पट्टा विधि में निम्नतर पर परिशोधित किया जाता है।

प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी

तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राषि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन रशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी माध्यमों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों में इक्विटी माध्यमों में निवेश को इंड एएस–27 के पृथक वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर लेखांकित किया जाता है। जहां निवेश का वहन मूल्य इसके अनुमानित वसूली मूल्य से अधिक होता है, वहां इसका आकलन वसूली–योग्यता के लिए किया जाता है और स्थायी विलयन के मामले में हानि के प्रावधान को लाभ एवं हानि विवरण में रिकार्ड किया जाता है।

निवेश के निपटान पर, निवल निपटान प्राप्ति और उसके वहन मूल्य के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया जाता है।

संयुक्त प्रचालनों में हित

कंपनी एक संयुक्त प्रचालक है जिसे संयुक्त व्यवस्था के अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से धारित परिसंपत्तियों/वहन की गई देयताआ में अपने संयुक्त प्रचालन में अपने भाग में कंपनी हितों के रूप में स्वीकार किया गया है। राजस्व को संयुक्त प्रचालनों द्वारा आउटपुट की बिक्री से राजस्व के इसके भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।व्ययों को संयुक्त व्यवस्था के भाग के रूप में अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्यय में इसके भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.2.8 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ड.) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.9 राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

(i) परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीसीएम) सेवाओं से राजस्व : ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व प्राप्त किया जाता है जब माल एवं सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों की ऐसी धनराशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो इस आधार पर है कि कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की उम्मीद करे।

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को उस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा जहां तक यह संभावना हो कि कंपनी में आर्थिक लाभ प्राप्त हों और राजस्व तथा लागतों, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

यदि हमारे ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने में अन्य पक्ष शामिल होता है तो कंपनी निर्धारण करती है कि ग्राहकों को किए गए वादे की प्रकृति का मूल्यांकन करके इन संव्यवहारों को करने वाला प्रधान पक्ष है या एजेंट है। राजस्व को सकल आधार पर बुक किया जाता है, जहां कंपनी प्रधान पक्ष के रूप में कार्य करती है और यदि कंपनी एजेंस के रूप में कार्य करती है तो अपनी सेवाओं के लिए प्रतिधारित निवल राशि पर। कंपनी ने संविदाओं के तथ्य पर विचार करके राजस्व को स्वीकार किया है।

सभी पीएमसी संविदाओं में, कंपनी प्रस्तुत दायित्वों की पूर्ण निष्पादन की दिया में उसकी प्रगति को मापने के पश्चात समय के साथ–साथ संतोषजनक निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को स्वीकार करता है, उस स्थिति में जहां निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप वे माना नहीं जा सकता है किन्तु कंपनी को संतोषजनक निष्पादन के लिए लागत की वसूली की आशा होती हो, राजस्व को केवल उस

समय तक किए गए लागतों की सीमा तक स्वीकार किया जाता है, जबतक कि यह कार्यनिष्पादन दायित्व के परिणामों को यथोचित मापन नहीं है।

निष्पादन दायित्वों को इपपुट विधि के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। जहां निष्पादन दायित्वों को इनपुट विधि द्वारा मापना संभव नहीं है वहां इन अनुबंधों के लिए आउटपुट विधि का प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कार्यनिष्पादन को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है।

राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा ताजा है, जो निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किए जाता है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र राशि को अलग कर दिया जाता है तथा इसका समायोजन वेरियेबल दृष्टिकोण, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

संविदा के आरंभ होने के पश्चात, संव्यवहार के मूल्य विभिन्न कारकों के कारण बदल सकते हैं। संव्यवहार के मूल्य में कोई भी परिवर्तन अनुबंध में निर्धारित समय पर उसी आधार निष्पादन दायित्वों हेतु आवंटित किया जाता है। इसके परिणामस्वरुस्प, एक संतोषजनक निष्पादन दायित्व हेतु आवंटित राशि को राजस्व के रूप में या राजस्व में कमी के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिस अवधि में संव्यवहार में परिवर्तन हुआ है।

यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो राजस्व, लागत या पूर्णता की दिशा में प्रगति का अनुमान संशेधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागतों के कारण परिणम में वृद्धि या कमी हो सकती है और इस परिवर्तन की अवधि में लाभ या हानि को शामिल करके स्वीकार किया जाता है, यदि परिवर्तन उसी अवधि को प्रभावित करता है या परिवर्तन की अवधि और भावी अवधि दोनों का प्रभावित करता है।

यदि कंपनी ग्राहकों द्वारा विचार किए जाने या देय भुगतान किए जाने से पूर्व किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है तो संविदागत परिसंपत्ति अर्जिन के लिए मान्यता प्राप्त है और यह स्थिति शर्त सहित है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में सेवा स्थानांतरित करने से पहले भुगतान पर विचार करता है तो भुगतान

किए जाने या भुगतान के लिए देय राशि (जो भी पहले हो) के लिए अनुबंध दायित्व को स्वीकार किया जाएगा। अनुबंध देयता को राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाता है यदि कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है।

(ii) श्रमशक्ति आपूर्ति/मशीनों को किराए पर देने से प्राप्त राजस्व

कंपनी ग्राहकों के साथ संविदा में उल्लिखित अनुसार वादा की गई सेवाओं (याि सहमत श्रमशक्ति की आपूर्ति) के अंतरण द्वारा निष्पादन दायित्वों के संतोष पर राजस्व को स्वीकार करती है। ऐसे सेवाओं को समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि ग्राहक कंपनी द्वारा उपलब्या लाभों को एक साथ ही प्राप्त एवं उपभोग करता है।

अन्य प्रचालनिक आय व्यवसाय के लिए आकस्मिक गतिविधियों से अर्जित आय को दर्शाती है और इसे तब स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यता

(i) लाभांश आय को उस समय लेखांकित किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ii) ब्याज आय को कुशल ब्याज दर विधि के प्रयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। ब्याज आय को लाभ एवं हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया गया है।

(iii) विविध आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और संविदा की शर्तों के अनुसार आय प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण

अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

(क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के ाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

(ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगति कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय ऑफसेट किया जाता है जब चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफसेट करने का विधिक प्रवर्तनीय अधिकारी होता है और जब आस्थगित कर शेष समान कर निर्धारण प्राधिकरण से संबंधित हो!

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

  वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन (''कार्यात्मक मुद्रा'') करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं शेष**

  विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

  रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

  मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

  शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। समूह की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं

गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

- **परिभाषित अंशदायी योजना :** परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत कंपनी नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

नियमित कर्मचारियों क लिए, कंपनी एनपीएस के माध्यम से कर्मचारी पेंशन योगना

के प्रति अंशदान जमा कराती है।

- **परिभाषित लाभ योजना** : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए कंपनी की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

कंपनी द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसको लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। कंपनी एक नियत अंशदान ईपीएफओं की पूर्वनिर्धारित दर पर निश्चित भविष्य निधि में करती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

अन्य :

i) कंपनी में कार्य करने वाले नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर तथा धारक कंपनी के रोल वाले कर्मचारी। दीर्घकालीन अवकाश नकदीकरण, उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान धारक कंपनी द्वारा वर्ष के अंत में बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii) केवल विदेशी परियोजनाओं में तैनात संविदा कर्मचारी के लिए अवकाश वेतन का प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है क्योंकि उन्हें कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है।

iii) नामांकन/सेकेंडमेंट आधार पर कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान का प्रावधान धारक कंपनी द्वारा अपने पीएफ ट्रस्ट में संचित आधार पर किया जाता है।

2.2.14 रोकड प्रवाह विवरण

तुलन पत्र में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शामिल हैं बैंक में नकद, उपलब्ध नकद, तीन महीने या कमी की मूल परिवक्वता वाले बैंकों के अन्य अल्पकालीन जमा राशियां, जो मूल्य में परिवर्तन के अपर्याप्त जोखिम के मद्देनजर हैं तथा बैंक ओवरड्रफ्ट।

रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से रोकड़ व रोकड़ समानान्तर में रोकड़, अल्पकालीन बैंक जमा राशियां आदि शामिल हैं जैसाकि ऊपर परिशषित किया गया है तथा बकार्यों बैंक ओवरड्राफ्ट का निवल परिभाषितानुसार रोकड़ तथा बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट का योग शामिल होता है।

2.2.5 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश के संवितरण को उस अवधि के लिए देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में लाभांश को स्वीकृति प्रदान की गई है। किसी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत अनुसार देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। देय लाभांश और लाभांश संवितरण कर को प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

(क)प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए

अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कंपनी द्वारा स्वीकृत प्रावधानों में शामिल हैं अनुरक्षण, डीमोबिलाइजेशन, अभिकल्प गारंटी, विधिक मामलों, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

सावधिक पट्टे पर अधिग्रहित पट्टाधारी भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर

सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

iii) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होने वाले इंड एएस 116 के अनुसार पट्टा लेखांकन को समायोजित किया है और सभी संबंधित आंकड़ों को इंड एएस 116 की अपेक्षाओं को प्रभावी बनाने के लिए पुनवर्गीकृत/पुनसमूहित किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.18 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

<u>प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन</u>

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकार्यों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

  ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **<u>इक्विटी उपकरण</u>**

इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरणएफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12

माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।

- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की अस्वीकृति

वित्तीय परिसंपत्तियों (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को अस्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से रोकड़ प्रवाहों का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों और तत्पश्चात परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों के स्वामित्व का का अंतरण करते हैं।

वहन मूल्य और प्राप्त /प्राप्य राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता

है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के एि पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.19 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो

परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य

- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.19 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण

बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रकिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन – (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.21 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार

सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.22महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

(क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

ख) आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

(ग) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

(घ) कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के

कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

(ड.) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

(च) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर।

(छ) पट्टा– संवर्धात्मक ऋण दर का अनुमान

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

(ज) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

अनुमोनों की आवश्यकता संविदा के निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में भी होती है।

- समापन के स्तर का निर्धारण
- परियोजना समापन तिथि का अनुमान
- भावी हानियों हेतु प्रावधान
- विभिन्न दावों और अंतरों सहित समापन पर अनुमानित कुल राजस्व और अनुमानित कुल लागत।

इनकी समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए इनमें समायोजन किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध कियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3 परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रूपए करोड में)

विवरण	संयंत्र एवं मशीनरी	कम्प्यूटर	फर्नीचर, फिक्सचर, फर्निशिंग	वातानुकूलन	विद्युत उपकरण	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशाला उपकरण	वाहन	कुल
लागत या मूल्यांकन									
1 अप्रैल 2018 को	**11.30**	**0.21**	**0.03**	**0.01**	**0.01**	**0.03**	**0.03**	**0.01**	**11.63**
संवर्धन	-	0.10	0.01	0.01	0.01	-	-	0.02	**0.15**
निपटान / समायोजन	-	0.05	-	-	-	-	-	-	**0.05**
31 मार्च 2019 को	**11.30**	**0.26**	**0.04**	**0.02**	**0.02**	**0.03**	**0.03**	**0.03**	**11.73**
संवर्धन	0.02	0.07	0.03	-	-	0.04	-	-	**0.16**
निपटान / समायोजन	0.08	0.01	-	-	-	0.02	0.03	-	**0.14**
31 मार्च 2020 को	**11.24**	**0.32**	**0.07**	**0.02**	**0.02**	**0.05**	**-**	**0.03**	**11.75**
संचित मूल्यह्रास और हानि									
1 अप्रैल 2018 को	4.47	0.07	0.01	0.01	-	0.01	-	-	**4.57**
वर्ष के लिए प्रभारित मूल्यह्रास	1.38	0.06	-	-	-	0.01	-	-	**1.45**
निपटान / समायोजन	-	0.01	-	-	-	-	-	-	**0.01**
31 मार्च 2019 को	**5.85**	**0.12**	**0.01**	**0.01**	**-**	**0.02**	**-**	**-**	**6.01**
संवर्धन	0.65	0.07	0.01	-	-	0.02	-	-	**0.75**
निपटान / समायोजन	0.02	0.01	-	-	-	0.02	0.01	-	**0.06**
31 मार्च 2020 को	**6.48**	**0.18**	**0.02**	**0.01**	**-**	**0.02**	**-**	**-**	**6.70**
निवल बही मूल्य									
31 मार्च 2020 को	**4.76**	**0.14**	**0.05**	**0.01**	**0.02**	**0.03**	**-**	**0.03**	**5.05**
31 मार्च 2019 को	**5.45**	**0.14**	**0.03**	**0.01**	**0.02**	**0.01**	**0.03**	**0.03**	**5.72**

4 गैर चालू परिसंपत्तियां

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

(रूपए करोड में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**2.17**
संवर्धन (आगामी व्यय)	0.06
समायोजन	-
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**2.23**
संवर्धन (आगामी व्यय)	0.07
समायोजन	-
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**2.30**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2020 को	**2.30**
31 मार्च 2019 को	**2.23**

* विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का ब्यौरा	1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	2019–20 के दौरान संवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 2020 को शेष
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (रेलपथ मशीन)				
रेलपथ मशीन सीएसएम 906	0.64	-	-	0.64
रेलपथ मशीन सीएसएम 911	0.64	-	-	0.64
रेलपथ मशीन यूएनआईएमएटी 8255	0.61	-	-	0.61
रेलपथ मशीन व्यय	0.34	0.07	-	0.41
कुल	**2.23**	**0.07**	**-**	**2.30**

* विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का ब्यौरा	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	2018–19 के दौरान संवर्धन	सीडब्ल्यूआईपी का अमूर्त परिसंपत्ति में पूंजीकरण (पट्टा अधिकार)	31 मार्च 2019 को शेष
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (रेलपथ मशीन)				
रेलपथ मशीन सीएसएम 906	0.64	-	-	0.64
रेलपथ मशीन सीएसएम 911	0.64	-	-	0.64
रेलपथ मशीन यूएनआईएमएटी 8255	0.61	-	-	0.61
रेलपथ मशीन व्यय	0.28	0.06	-	0.34
कुल	**2.17**	**0.06**	**-**	**2.23**

5 अमूर्त परिसंपत्ति

(रूपए करोड में)

विवरण	साफटवेयर	पट्टा अधिकार	कुल
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	-	95.65	95.65
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-
समायोजन	-	0.14	0.14
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**-**	**95.51**	**95.51**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-
समायोजन	-	0.36	0.36
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**-**	**95.15**	**95.15**
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	-	6.26	6.26
परिशोधन	-	1.66	1.66
हानि	-	-	-
समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	**-**	**7.92**	**7.92**
परिशोधन	-	2.15	2.15
हानि	-	-	-
समायोजन	-	0.04	0.04
31 मार्च 2020 को अंतिम शेष	**-**	**10.03**	**10.03**
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2020 को	**-**	**85.12**	**85.12**
31 मार्च 2019 को	**-**	**87.59**	**87.59**

1. पट्टा अधिकारः कंपनी ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों मे निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ समझौता करार में प्रवेश किया है। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों के लिए पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त है।

2. पट्टा अधिकार को उस तिथि से पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है, जिसमें संबंधित परियोजना प्रोरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन में आई है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि है 2.15 करोड रूपए (वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 1.6 करोड रूपए)।

6 गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

6.1 ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी ऋण*		
क. वसूली योग्यः रक्षित	-	0.01
ख. वसूली योग्य : अरक्षित	0.03	0.04
कुल	**0.03**	**0.05**

'उपर उल्लिखित ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नही हैं, जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है।

6.2 अन्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य : रक्षित		
12 महीनों से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां	-	-
12 महीनों से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशियां	0.25	2.39
कर्मचारी ऋण और अग्रिमों पर संचित ब्याज	0.02	0.02
वसूली योग्य : अरक्षित		
जमा राशियां		
- सांविधिक विभागों के साथ -	0.02	0.05
कुल	**0.29**	**2.46**

नोट 6.2.1.: दिनांक 31 मार्च 2020 को 0.25 करोड रूपए (31 मार्च 2019 को 2.39 करोड रूपए)एचवीएसयू को बैंक गारेटी के प्रति सावधि जमा को दर्शाता ह।

7 अस्थगित कर परिसंपत्तियों और आय कर

इंड एएस 12 "आयकर" के अनुसरण में प्रकटन

(क) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	**लाभ और हानि खंड**		
	चालू आय करः		
	चालू आय कर प्रभा	4.39	3.71
	पिछले वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	11.80	-
	आस्थगित करः	-	-
	अस्थायी अंतरों के समायोजन एंव प्रतिक्रम से संबंधित	-12.84	-0.54
	लाभ और हानि खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	**3.35**	**3.17**
2	**अन्य वृहत आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनःमापन पर निवल घाटा/(लाभ)	-	-
	विदेशी प्रचालन अंतरण पर निवल घाटा/(लाभ)		
	ओसीआई खंड में प्रस्तुत आयकर व्यय	-	-

(ख) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 के लिए भारत के घरेलू कर दर द्वारा गुणा कर व्यय और लेखांकन लाभ का समायोजन:

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	14.86	17.21
2	आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार निगमित कर दर	0.29	0.22
3	लेखांकन लाभ पर कर (3) = (1) * (2)	4.33	3.71
4	कर समायोजन प्रभावः	-	-
(i)	पूर्ववर्ती वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	11.80	-
(ii)	पिछले अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग		
(iii)	दर अंतर प्रभाव	-	-
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(v)	कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
	अन्य देशों के अतिरिक्त कर	-	-
	अन्य गैर कटौती योग्य व्यय	-	-
(vi)	विभिन्न अन्य मदों पर प्रभाव	-12.78	-0.54
5	**लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय**	**3.35**	**3.17**
6	प्रभावी कर दर		

(ग) तुलन पत्र और लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर (परिसंपत्तियां) और देयताएं

(रूपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	तुलन पत्र		लाभ हानि विवरण	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	9.33	17.59	-8.26	-0.88
2	प्रावधान	-0.31	-0.22	-0.09	0.34
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त भुगतान पर आस्थगित कर परिसंपत्ति	-4.49	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**4.53**	**17.37**	**-8.35**	**-0.54**

(d)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-4.80	-0.22
2	आस्थगित कर देयताएं	9.33	17.59
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं) (निवल)	**4.53**	**17.37**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्योंकि वे समान शासी नियमों से संबंधित हैं।

(ड.) आस्थगित कर (देयताओं) और परिसंपत्तियों का समायोजन :

31 मार्च 2020 को

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2019 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	17.59	-8.26	-	9.33
2	प्रावधान	-0.22	-0.09	-	-0.31
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
7	एमएफसी के एकमुश्त भुगतान पर आस्थगित कर परिसंपत्ति'	-	-4.49	-	-4.49
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**17.37**	**-12.84**	**-**	**4.53**
नोट: वर्ष के दौरान कंपनी ने वीएस योजना का विकल्प चुना, जिससे डीटीएल में 8.12 करोड रूप की कमी और वर्ष के दौरान डीटीए में 4.49 करोड रूपए की बढत हुई।					

31 मार्च 2019 को

क्र.सं	विवरण	1अप्रैल 2018 को शेष (निवल)	लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2019 को शेष (निवल)
1	परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित) : बही में अंतर-मूल्यह्रास एवं आयकर मूल्यह्रास	18.47	-0.88	-	17.59
2	प्राथमिक व्ययों का प्रभाव	-0.56	0.34	-	-0.22
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत मदें	-	-	-	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु स्वीकार्य।	-	-	-	-
5	वित्तीय माध्यमों का उचित मूल्यांकन	-	-	-	-
6	एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों और एफवीटीपीएल म्यूचुवल फंड पर अप्रयुक्त लाभ/हानि	-	-	-	-
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**17.91**	**-0.54**	**-**	**17.37**

8 चालू परिसंपत्तियां

दरसूचियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
सामग्री एवं भंडारण		
–हाथ में	0.01	-
–तीसरे पक्ष के पास	-	-
–ट्रांजिट में	-	-
कुल	**0.01**	-

9 वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 व्यापार प्राप्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वसूली योग्य : अरक्षित		
व्यापार प्राप्य*	57.01	63.44
कुल	**57.01**	**63.44**

***व्यापार प्राप्यों का ब्यौरा**

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वसूली योग्य : रक्षित	-	-
वसूली योग्य : अरक्षित		
(क) संबंधित पक्षों से – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	0.90	1.30
(ख) अन्यों से	56.11	62.14
	-	-
ऋण हानि	-	-
संदिग्ध ऋणों में व्यापक वृद्धि	57.01	63.44
संदिग्ध प्राप्यों हेतु प्रावधान	-	-
कुल व्यापार प्राप्य	**57.01**	**63.44**

उपर उल्लिखित व्यापार प्राप्य में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नही हैं, जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है।

वित्तीय परिसंपत्तियां जारी .....

9.2 रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उपलब्ध रोकड	0.01	0.01
पारगमन में प्रेषण	0.19	-
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट	-	-
बैंकों में शेषः	-	-
– चालू खातों में	0.46	0.52
– फलैक्सी खाते**	34.44	0.20
–तीन माह से कमी की मुल परिपक्वता वाली जमा राशियां	67.00	-
कुल	**102.10**	**0.73**

102.10 करोड रूपए में से 92.71 करोड रूपए ग्राहक निधि हैं।

9.3 अन्य बैंक शेष

. करोड रूपए में

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अन्य बैंक शेष		
– 3 महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां	45.00	132.04
– 3 महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां (बैंक गारंटी)	2.68	2.29
कुल	**47.68**	**134.33**

नोट 9.3.1.: दिनांक 31 मार्च 2020 को 2.68 करोड रूपए (31 मार्च 2019 को 2.29 करोड रूपए) म्यामार सडक परियोजना के लिए विदेश मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी के प्रति सावधि जमा को दर्शाता है। 47.68 करोड रूपए में से 8 करोड रूप्ए ग्राहक निधि हैं। (दिनांक 31 मार्च 2019 को 95.12 करोड रूपए)

वित्तीय परिसंपत्तियां जारी .....

9.4 ऋण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग : अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशियां	0.07	0.06
कर्मचारी ऋण*		
क. वसूली योग : रक्षित	0.01	0.01
ख. वसूली योग : अरक्षित	0.01	0.02
कुल	**0.09**	**0.09**

'उपर उल्लिखित ऋण और अग्रिम में कंपनी, फर्म के अधिकारियों को देय ऋण शामिल नही हैं, जिनमें निदेशक साझेदार है या निजी कंपनी जिनमें निदेशक सदस्य है।

9.5 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) वसूलीयोग्य – रक्षित		
12 महीनों से कम की शेष परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां	-	8.95
12 महीनों से कम की शेष परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां (बैंक गारंटी)-	-	0.44
ख) वसूलीयोग्य – अरक्षित		
जमा राशि		
सांविधिक विभागों के पास	0.03	-
बैंकों में एफडीआर पर संचित ब्याज	1.02	2.07
ख) वसूलीयोग्य – अरक्षित		
बयाना जमा रांशे	0.09	0.33
अन्यों से प्राप्त रांशे	0.22	-
ग) सांवेदा पांरसपांत्तया		
बिलयोग्य राजस्व	2.02	2.02
ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	0.01	0.28
ग्राहकों से आहरित राशि	0.01	0.07
कुल	**3.40**	**14.16**

(क) ग्राहक द्वारा प्रमाणित किन्तु रिपेर्टिंग तिथ को बिल न की गई 2.02 करोड रूपए ;2.02 करोड रूपएद्ध की राशि कार्य के मूल्य सहित है।

नोट 9.5.1: दिनांक 31 मार्च 2019 को 0.44 करोड रूपए हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय तथा विदेश मंत्रालय और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सावधि जमा राशियों को दर्शाता है।

10 चालू कर परिसंपत्तियां निवल

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का प्रावधान)	0.68	-0.41
पिछले वर्षों हेतु अग्रिम कर धनवापसी / (कर देयता)	(0.19)	7.02
कुल	**0.49**	**6.61**

11 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य : अरक्षित		
पूंजी अग्रिमों से इतर अग्रिम		
ठेकेदारों को अग्रिम	8.29	0.73
अन्य		
पूर्वप्रदत्त व्यय	0.06	0.08
स्टाफ को इम्प्रेस्ट	0.03	0.01
जीएसटी इनपुट कर निवल	11.57	-
कुल	**19.95**	**0.81**

12 इक्विटी शेयर पूंजी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
10 रूपए के पूर्व प्रदत्त 6,50,00,000 इक्विटी शेयर		
(दिनांक 31.03.2019 को प्रति 10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर)	65.00	65.00
	65.00	65.00
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
10 रूपए के पूर्व प्रदत्त 6,50,00,000 इक्विटी शेयर		
(दिनांक 31.03.2020 को प्रति 10 रूपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर)	65.00	65.00
	65.00	65.00

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता का ब्यौरा

(रूपए करोड में)

शेयरधारक के नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	सं. लाख में	श्रेणी में प्रतिशत धारिता	सं. लाख में	श्रेणी में प्रतिशत धारिता
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड धारक कंपनी (इरकॉन)	65,000,000.00	**1.00**	65,000,000.00	**1.00**
कुल	**65,000,000.00**	**1.00**	**65,000,000.00**	**1.00**

रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व के पांच वर्षों की अवधि के दौरान बायबैक शेयरों या रोकड से इतर शेयरों हेतु बोनस जारी शेयरों के रूप में इक्विटी शेयरों की समग्र संख्या

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	संख्या.....	संख्या.....	संख्या.....	संख्या.....	संख्या.....
रोकड़ से इतन आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
बोनस के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण		31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		शेयरों की संख्या	रूपए करोड में	शेयरों की संख्या	रूपए करोड में
वर्ष के आरंभ में जारी/अंशदायी तथा बकाया प्रदत्त इक्विटी पूंजी		65,000,000.00	65.00	65,000,000.00	65.00
जमा : वर्ष के दौरान जारी शेयर		-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया		**65,000,000.00**	**65.00**	**65,000,000.00**	**65.00**

(ग) इक्विटी शेयरों से संबद्धशर्तें/अधिकार:

(i) मतदान :

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रुपये का सममूल्य मूल्य है।इक्विटी शेयर का

(ii) परिसमापन:

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के संवितरण के पश्चात, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश :

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन में अध्याधीन है।

13 अन्य इक्विटी

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिधारित आमदनियां	-	-
सामान्य आरक्षित निधि	88.89	77.39
कुल	**88.89**	**77.39**

13.1 प्रतिधारित आमदनियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	-	-
जमा : लाभ व हानि विवरण से अंतरित लाभ	11.51	14.04
जमा : निर्धारित लाभ दायित्वों के पुनर्मापन से उत्पन अन्य आय	-0.01	-
घटा : सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	11.50	14.04
समापन शेष	-	-

कंपनी ने वर्ष के लिए किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

13.2 सामान्य आरक्षित निधि

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक शेष	77.39	63.35
जमा : लाभ व हानि विवरण से अंतरित लाभ	11.50	14.04
समापन शेष	**88.89**	**77.39**

अन्य आरक्षित निधियों की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती हैं।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को दर्शाती हैं जो निगमित कानून के अनुरूप है, जिसमें लाभ का एक भाग आरक्षित निधि में शामिल किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि का अंतरण कंपनी के विवेकाधिकार पर है।

14 गैर चालू देयताएं

14.1 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य – अरक्षित		
प्रतिधारण राशि	13.52	4.14
कुल	**13.51**	**4.14**

गैर चालू देयताएं जारी.....

15 प्रावधान

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान :		
i) उपदान	0.03	0.02
ii) अवकाश वेतन	0.22	0.14
कुल	**0.25**	**0.16**

16 अन्य गैर चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एमएफसी के उपपट्टे से अपफ्रंट राशि	30.28	31.76
कुल	**30.28**	**31.76**

चालू देयताएं

17 वित्तीय देयताएं

17.1 व्यापार देय राशियां

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (नोट का संदर्भ)	3.80	1.91
(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों से इतन		
(क) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	6.86	13.20
(ख) संबंधित पक्ष	-	-
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	1.53	-
कुल	**12.19**	**15.11**

17.2 अन्य वित्तीय देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अन्य देय राशियां		
कर्मचारियों को देय	0.64	0.38
जमा राशियां, प्रतिधारण राशि	7.56	3.57
अन्य	-	-
अन्य व्यय – प्रावधान	0.74	0.53
	-	-
अन्य देय – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	-	-
ऋणों पर देय ब्याज	-	-
– कर्मचारियों के परिश्रमित, अन्य व्यय आदि के प्रतिपूर्ति के प्रति	1.31	1.07
– किराए के भुगतान के प्रति	0.02	-
कुल	**10.27**	**5.56**

18 अन्य चालू देयताएं

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
आयकर प्रावधान (अग्रिम कर और टीडीएस का निवल)	-	-
पिछल वर्ष की कर देयता	-	-
कुल	-	-

19 अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अन्य		
सांविधिक देयः	1.47	2.76
एमएफसी के उपपट्टे से अपफ्रंट राशि	1.43	1.44
संविदा देयताएं :		
ग्राहकों से अग्रिम	95.62	97.48
कुल	**98.52**	**101.68**

20 प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान :		
i) उपदान	-	-
ii) अवकाश वेतन	-	-
iii) पीआरपी	0.08	0.05
कुल	**0.08**	**0.05**

21 प्रचालनों से राजस्व

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व		
(क) सेवाओं की बिक्री		
श्रमशक्ति आपूर्ति		
– अन्य	0.66	0.53
– संबंधित पक्ष	0.66	0.53
उपकुल		
(ख)परियोजना प्रबंधन परामर्श		
पीएमएस परियोजनाओं से	106.65	47.68
स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाएं		
– संबंधित पक्ष		
उपकुल	106.65	47.68
(ग)एमएफसी के उपपट्टे से पट्टा किराया		
– अन्य	16.65	17.79
– संबंधित पक्ष		
उपकुल	16.65	17.79
(घ) अन्य प्रचालनिक राजस्व		
सीएसआर और स्वच्छ भारत अभियान परियोजनाओं का निष्पादन	1.07	3.72
अन्य	0.02	0.03
संबंधित पक्ष		
उपकुल	1.09	3.75
(ड.) रेलपथ का अनुरक्षण		
– अन्य	4.49	-
– संबंधित पक्ष		
उपकुल	4.49	-
(छ.) संयंत्र और मशीनरी का पट्टाकरण		
– अन्य		
– संबंधित पक्ष	1.59	0.89
उपकुल	1.59	0.89
कुल	**131.13**	**70.64**

22 अन्य आय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक ब्याज सकल	3.21	2.41
कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज	-	-
प्राप्य एवं अग्रिम पर ब्याज	0.77	2.56
आयकर की प्रतिपूर्ति पर ब्याज	-	-
विनेमय उच्चावचलन लाभ निवल	0.33	0.15
अन्य गैर प्रचालनिक आय	-	-
– अन्यों से	0.07	0.58
– संबंधित पक्ष (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	-	-
अतिरिक्त प्रावधान बट्टा खाता	-	-
कुल	**4.38**	**5.70**

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड सीआईएन–यू45400डीएल2009जीओआई194792
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के भाग का सृजन करने वाले नोट

23 प्रचालनिक व्यय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रचालनों से लागत	102.78	44.23
कुल	**102.78**	**44.23**

i) प्रचालनों से लागत का ब्यौरा

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्य व्यय – सीएसआर	1.15	3.60
कार्य व्यय – परामर्श कार्य	0.83	0.58
कार्य व्यय – एमएफसी का पट्टा	5.18	4.74
कार्य व्यय – सीईआरएल रेलपथ अनुरक्षण	1.32	-
कार्य व्यय – श्रमशक्ति आपूर्ति	0.22	-
कार्य व्यय – ईएमपी लैब का प्रचालन एवं अनुरक्षण	0.01	0.07
कार्य व्यय – रेलपथ मशीन	0.50	-
अन्य परियोजनाओं के लिए कार्य व्यय	93.57	35.16
कार्य व्यय – एमईए	-	0.08
कुल	**102.78**	**44.23**

24 कर्मचारी लाभ व्यय

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन एवं पारिश्रमिक	10.83	7.75
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	0.81	0.54
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	**11.64**	**8.29**

25 वित्तीय लागत

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय		
– संबंधित पक्ष से ऋण पर ब्याज (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड)	-	-
आयकर पर ब्याज	0.02	0.01
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रभार	0.04	0.04
कुल	**0.06**	**0.05**

26 मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिसंपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	0.75	1.45
अमूर्त परिसंपत्तियां	2.15	1.66
कुल	**2.90**	**3.11**

27 **अन्य व्यय**

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
दरें एवं कर	0.03	0.13
यात्रा एवं कन्वेयंस	0.71	0.97
मुद्रण एवं स्टेशनरी	0.08	0.07
पोस्टेज, दूरभाष एवं टेलेक्स	0.05	0.06
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	0.72	0.26
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा	-	0.03
बीमा	-	0.31
व्यवसाय संवर्धन	0.01	-
किराया	0.32	0.41
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	-	-
सुरक्षा सेवाएं	-	-
वाहन प्रचालन एवं अनुरक्षण	0.33	0.26
लेखापरीक्षा पारिश्रमिक (ब्यौरे हेतु बिंदु(i) का संदर्भ लें)	0.03	0.02
विज्ञापन एवं प्रचार	0.07	0.40
विविध व्यय	0.61	0.20
सांविधिक देयों के विलिंबित भुगतान पर ब्याज	0.05	-
शुल्क तथा अंशदान प्रभार	0.11	0.06
मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.01	0.12
सीएसआर	0.14	0.15
विनिमय उच्चावचन घाटा	-	-
कुल	**3.27**	**3.45**

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(i) लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	0.03	0.02
(ii) कर लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	-	-
(iii) यात्रा एवं आउट आफ पॉकेट व्यय:	-	-
– स्थानीय	-	-
कुल	**0.04**	**0.02**

28 अन्य वृहत आय/ ओसीआई के घटक

इक्विटी में प्रतिक्रम के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओीआई में परिवर्तन का विसंग्रहण

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन	-0.01	-
निर्धारित लाभ दायित्व के पुनःमापन के कर घटक	-	-
कुल	**-0.01**	**-**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण का टिप्पणियां

नोट: 29. इंडएस-1"वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण" द्वारा अपेक्षित प्रकटन

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

इंड एएस-116 "पट्टा" की अनुप्रयोज्यता के कारण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में नीति संख्या 2.14 "पट्टा"को संशोधित किया गया है। इंड एएस- 116 को दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी किया गया है,जिसने इंड एएस-17 को प्रतिस्थापित किया है। इंड एएस-116, पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है और पट्टाधारक को तुलन पत्र में अधिकांश पट्टों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इंउ एएस-116 के तहत पट्टादाता लेखांकन इंउएएस-17 के के कारण व्यापक स्तर पर अपरिवर्तित रहा है। इंड एएस 17 में निर्धारित समान सिद्वांतों के अनुसार को पट्टों को प्रचालनिक या वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत करना जारी रहेगा। इसलिए, इंड एएस-116 का पट्टों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जहां कंपनी पट्टादाता है।

कंपनी के पास कार्यालय, गेस्ट हाउस और वाहनों के लिए पट्टे अनुबंध हैं। इंड एएस-116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) को एक वित्तीय पट्टे या प्रचालनिक पट्टे के रूप में स्थापना की तारीख को वर्गीकृत किया था। इंड एएस-116 के स्वीकार करने के उपरांत, कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक ही मान्यता और माप दृष्टिकोण लागू किया है। इसके मानक विशिष्ट पारगमन आवश्यकताओं और व्यावहारिक तीव्रताओं का प्रावधान उपलब्ध कराता है, जिन्हें कंपनी द्वारा लागू किया गया है।

कंपनी ने पूर्व में वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के आरंभिक अनुप्रयोक की तिथि को स्वीकृत परिसंपत्तियों के आरंभिक वहन मूल्य में परिवर्तन नहीं किया है (यथा परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार इंड एएस-17 के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा परिसंपत्तियों के समान है)। इंड एएस-116 की अपेक्षा को दिनांक 01अप्रैल, 2019 से इन पट्टों पर लागू किया गया था।

पूर्व में प्रचालीनिक पट्टे के रूप में लेखांकित किए जाने वाल पट्टे

कंपनी उन पट्टों के लिए परिसंपत्ति उपयोग अधिकारी और पट्टा देयताओं को स्वीकार करती है, जो अल्पकालिक पट्टों को छोड़कर पहले प्रचालनिक पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। पट्टेदार शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयता को स्वीकार करता है और ऐसा अनुप्रयोग की तिथि को पट्टेदार की वृद्धिशील दर का उपयोग करके और

पट्टे की देयता के बराबर राशि पर परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार संपत्ति को मापा कर किया जाता है, जिसे पूर्व में स्वीकृत पूर्वप्रदत्त या संचित पट्टा भुगतानों के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी ने उपलब्ध पद्धति को तीव्रता के साथ लागू कर दिया है, जिसमें :
(i) यथोचित समान विशेषताओं वाले पट्टों के पोर्टफोलियो में एकल छूट दर का उपयोग किया गया है।

(ii) अल्पकालिक पट्ट छूट प्रारंभिक अवधि की तारीख के 12 महीने के भीतर समाप्त होने वाली पट्टा अवधि वाले पट्टों और कुल पट्टा अवधि 12 महीने से कम होने पर लागू होती है।

(iii) प्रारंभिक अनुप्रयोग की तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के मापन के लिए आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें शामिल नहीं हैं।

(iv) पट्टे की अवधि निर्धारित करने में दूरदर्शिता का उपयोग किया जाता है, जहां अनुबंध में पट्टे का विस्तार या समाप्त करने के विकल्प होते हैं।

दिनांक 01 अप्रैल 2019 को इंड एएस 116 को प्रयोग करने का प्रभाव शून्य है।

नोट: 30: इंड एएस-8 "लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमान और त्रुटियों में परिवर्तन"
(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने "पूर्व अवधि मदों" से संबंधित लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। वर्तमान वर्ष में गैर महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मदों को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।
लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय विवरण पर शून्य प्रभाव पड़ा है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मकता में संवर्धन हेतु तुलनात्मक अवधि वित्तीय विवरणों को पुन:वगीक़त किया गा है। इन पुनर्वर्गीकरणों के प्रचालनक के निर्धारित परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट: 31 :कर्मचारी लाभ
इंड एएस-19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

उपदान

उपदान उन पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक पूरे किए गए सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दस से संगठन से अलग होन (यथा अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र शारीरिक अक्षमता या मृत्यु) पर देय होती है, जिसने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी की है।।

इंड एएस-19 बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए उपदान क संबंध में दिनांक 31 मार्च 2020 को 0.03 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 0.02 करोड़ रूपए) का प्रावधान है।

1. वर्ष के दौरान निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	**उपदान**	
	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2019 को**
अवधि की आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	0.02	0.01
वर्तमान सेवा लागत	0.01	0.01
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	0.00	0.00
बीमांकक (लाभ) / दायित्वों परहानि	0.01	0.00
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**0.03**	**0.02**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

विवरण	**उपदान**	
	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2019 को**
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		
नियोक्ता द्वारा योगदान	-	-
प्रदत्त	-	-
ब्याज आय	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-
एलआईसी की मृत्यु दर	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का	**-**	**-**

उचित मूल्य		

iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्व के उचित मूल्य का समायोजन:

विवरण	**उपदान**	
	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2019 को**
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	0.00
निर्धारित लाभ दायित्व	0.03	0.02
तुलन पत्र में स्वीकृत राशि	**(0.03)**	**(0.02)**

iv) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि

विवरण	**उपदान**	
	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2019 को**
वर्तमान सेवा लागत	**0.01**	0.01
विगत सेवा लागत	**0.00**	0.00
शुद्ध ब्याज व्यय	**0.00**	0.00
लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत राशि	**0.01**	0.01

v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि:

विवरण	**उपदान**	
	31 मार्च, 2020को	**31 मार्च, 2019 को**
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकक परिवर्तन	**0.00**	0.00
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकक परिवर्तन	**0.01**	0.00
अनुभव समायोजन	**0.00**	0.00
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्यिों पर प्रतिफल	**0.00**	0.00

अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि	**0.01**	0.00

vi) कुल योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:

विवरण	**उपदान**	
	31 मार्च, 2020 को	**31 मार्च, 2019 को**
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	**0.00**	0.00
राज्य सरकारकी प्रतिभूतियां	**0.00**	0.00
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	**0.00**	0.00
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	**0.00**	0.00
संपत्ति	**0.00**	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	**0.00**	0.00
बैंक राशि	**0.00**	0.00
कुल	**0.00**	**0.00**

vii) कंपनी की योजनाओं के लिए पीएफ / उपदान/पीआरएमबी / सेवानिवृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में उपयोग की जाने वाली मुख्य अनुमान निम्नानुसार हैं:

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिएउपदान**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिएउपदान**
रियायती दर	**6.76**	7.66
भविष्य की वेतन वृद्धि	**8.00**	8.00
मृत्यु दर	**आईएएलएम का 100% (2012 - 14)**	**आईएएलएम** का 100% (2006 - 08)
लाभ दायित्व की अनुमानित अवधि	**20.79**	30.79

viii) 31 मार्च को ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुमान के लिए मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण नीचे दिखाया गया है:

ग्रेच्युटी योजना	**उपदान योजना (डीबीओपर प्रभाव)**	
	31 मार्च, 2020	**31 मार्च, 2019**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**0.034**	**0.17**
छूट की दर		
0.50% की वृद्धि	0 l00	0 l00
0.50% की कमी	0 l00	0 l00
भविष्य का वेतन वृद्धि		
0.50% की वृद्धि	0.00	0.00
0.50% की कमी	0.00	0.00

पेंशन

इरकॉन आईएसएल के नियमित कर्मचारियों को देय पेंशन के संबंध में, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) की नीति को अपनाया गया है और तदनुसार पेंशन की एनपीएस योजना में अंशदान किया जा रहा है और अनुमोदित मान्यताप्राप्त निधि मे नियमित आधार पर धनराशि जमा की जा रही है।

अवकाश नकदीकरण

अवकाश नकदीकरण के संबंध में, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) के नियमों को अपनाया गया है, और इसलिए, कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के लिए संचित आधार पर बहियों में प्रावधान किया गया है।

कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2020 को बीमांकक मूल्यांकन इंड एएस–19 के अनुसार 0.04 करोड रूपए (वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 0.03 करोड रूपए) का प्रावधान किया गया है।

कंपनी के पास विभिन्न परियोजनाओं के लिए अल्पावधि संविदा आधार पर कतिपय कार्मिक हैं। नियुक्ति के अनुबंध के अनुसार, विदेशी परियोजना में तैनात संविदागत कर्मचारी केवल अवकाश वेतन के लिए पात्र हैं और उनके लिए कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है। तदनुसार, अवकाश वेतन का प्रावधान खाता बहियों में प्रदान किया गया है।

नोट: 32 : विदेशी मुद्रा अर्जन और आउटगो:

(क) विदेशी मुद्रा में आय (क्रमिक आधार पर):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
कार्य प्राप्ति	**0.59**	0.51
बैंक का ब्याज	**0.00**	0.00
अन्य ब्याज	**0.00**	0.00
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव (निवल)	**0.33**	0.15
अन्य	**0.00**	0.10
कुल	**0.92**	0.76

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (आकस्मिक आधार पर):

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रचालनिक व्यय	**0.19**	0.10
परामर्श शुल्क	**0.00**	0.00
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव से हानि (निवल)	**0.00**	0.00
प्रशासनिक और अन्य व्यय *	**4.57**	0.97
कुल	**4.76**	1.07

(ग) आयात का सीआईएफ मूल्य:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
सामग्री / मशीनरी	0.00	0.00

उपभोग्य सामग्रियों, घटकों और पुर्जो	0.00	0.00
कुल	**0.00**	0.00

*** प्रशासनिक व्यय में म्यांमार परियोजना व्यय शामिल है जो स्थानीय मुद्रा (क्यात) में है, हालांकि भुगतान ग्राहक के विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) से प्राप्त किया गया है।**

नोट: 33 : संबंधित पक्ष के लेन-देन।

इंड एएस-24 "संबंधित पक्ष का प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

कंपनी की संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिकारक्षेत्र में है।

ख) संबंधित पक्षों के संबंध और नाम हैं:

संबंध की प्रकृति		**संबंधित पक्ष का नाम**
i. धारक कंपनी		इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
ii। प्रमुख प्रबंधन कर्मी:	निदेशक:	श्री एम.के. सिंह श्री सुरजीत दत्ता, श्री ए.के.गोयल, और श्री पराग वर्मा
	अन्य	अन्य: - श्री राणा प्रताप सिंह (सीईओ) (01 अप्रैल 2019 से 05 मार्च 2020) श्री अजय पाल सिंह (सीईओ) (06 मार्च 2020 को कार्यभार ग्रहण) श्रीमती पूजा चौरसिया (सीएफओ) सुश्री मनीषा गोले, कंपनी सचिव

ग) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को पारिश्रमिक निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2019-20**	2018-19
क)	अल्पकालिक लाभ	**0.58**	0.56
ख)	नियोजन पश्चात लाभ*	**0.23**	0.27
ख)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		

	कुल	**0.81**	0.83

*** संदर्भ नोट: - 33 (घ)**

कंपनी के निदेशकों को धारक कंपनी द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है और कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इसलिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक ऊपर दिखाया गया है।

घ) संबंधित पक्ष संव्यवहार

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**लेन-देन**		**बकाया राशि**	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए पारिश्रमिक (उपर्युक्त ख)	**नोट सं.35 (ख) के अनुसार**		**0.00**	**0.00**
घारक कंपनी से प्राप्त सेवाओं और सामग्री की खरीद के प्रति देय राशि	**1. 50**	0.17	**(1 .55)**	0.00
वेतन की प्रतिपूर्ति अर्थात कर्मचारियों के वेतन, पीएफ अंशदान, यात्रा, आदि के रूप में पारिश्रमिक	**3. 30**	2.32	**(1 .31)**	(1 .01)
धारक कंपनी से राजस्व आय	**2.24**	1 .42	**0.80**	3 .91
धारक कंपनी को परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.09**	0.00	**0.10**	0.00

() दर्शाता है कि भुगतान धारक कंपनी (इरकॉन) द्वारा किया जाएगा

ड.) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संबंधित पक्ष संव्यवहारों का ब्यौरा:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	**लेन-देन**	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**

		राजस्व	व्यय	राजस्व	व्यय
1.	मानव-दिवस दर आधार पर इरकॉन की मलेशिया परियोजना के लिए दिनांक 01.04.2013 को श्रमशक्ति की आपूर्ति के लिए करार।	0.31	0.04	0.35	0.13
2.	मानव-दिवस दर के आधार पर इरकॉन की अल्जीरिया परियोजना के लिए "श्रमशक्ति की आपूर्ति" के लिए दिनांक 01.10.2017 को करार	0.21	0.11	0.30	0.10
3.	दिनांक 25.03.2019 (01.01.2019 से) को श्रमशक्ति की आपूर्ति" के लिए इरकॉन के कोलकाता क्षेत्र में मानव दिवस दर के आधार पर करार	०.० 7	0.05	0.02	0.01
4.	दिनांक 22.05.2020 (07.02.2020 से) को “श्रमशक्ति की आपूर्ति” के लिए इरकॉनके बांग्लादेश क्षेत्र में मानव दिवस दर के आधार पर करार	0.07	0.08	0.00	0.00
5.	दिनांक 16.12.2019 (16.10.2019 से)को "ड्यूओमैटिक टैंपिंग मशीन" के लिए इरकॉन के बिहार स्थित किऊल गया और हाजीपुर परियोजनाओं के लिए करार	1. 12	0.67	0.00	0.00
6.	दिनांक 20.07.2019 (20.02.2019 से) को छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) को “डूमेटिक टैंपिंग मशीन” को पट्टे पर देने हेतु करार	0. 46	0.54	0.00	0.00
7.	खरसिया और कोरिच्चच्चपारा (अक्टूबर 2019 से मार्च 2020) के बीच हाल में निर्मित बीजी खंड के रखरखाव के लिए इरकॉन सीईआरएल परियोजना को देय शुल्क	0.00	(1.53)	0.00	0.00
8.	आईआरसीओएन के जयनगर नेपाल परियोजना के लिए "ड्यूओमैटिक टैंपिंग मशीन" को पट्टे पर देने के लिए दिनांक 28.03.2019 को करार।	0.00	0.00	0.89	1.03

() इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को देय राशि को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने **0.01** करोड रूपए (वित्तीय वर्ष 2018-19 में **0.07** करोड रूपए) का व्यय के प्रति **0.02 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2018-19 में 0.03 करोड़ रूपए)का राजस्व अर्जित किया है।** वर्ष के दौरान, जम्मू में ईएमपी लैब को सभी परिसंपत्तियों सहित जहां है जैसा है आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (धारक कंपनी) में वापस कर दिया गया है।

नोट: 34 : प्रति शेयर आय

इड एएस-33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण। वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ को विभाजित करके मूल ईपीएस की गणना की जाती है। विलयित ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों हेतु वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है, जो वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा सभी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या व इक्विटी शेयरों में संभावित द्वारा प्रभावित होते हैं।

(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय

(करोड़ रुपए में)

(i) मूल और विलयित आय प्रति शेयर (रु. में)			
विवरण	**नोट**	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
इक्विटी धारकों के प्रति लाभ (रु.करोड़ में)	**(Ii)**	**11.50**	**14.03**
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**(Iii)**	**6.50**	**6.50**
प्रति शेयर आय (मूल)		**1.77**	**2.16**
प्रति शेयर आय (विलयित)		**1.77**	**2.16**
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु.)		**10.00**	**10.00**

(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त)

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	11.50	14.03
ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों हेतु लाभ	11.50	14.03

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

(करोड़ों में)

विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	6.50	6.50
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	0.00	0.00
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**6.50**	**6.50**
विलयित प्रभाव:		
जमा: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	0.00	0.00
विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	**6.50**	**6.50**

नोट: 35 : संपत्तियों की हानि

इंड एएस-36 "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष की समाप्ति पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार क्षति हानि, यदि कोई हो, को दर्शाने के लिए परिसंपत्तियों की हानि की समीक्षा की है।चूंकि हानि का कोई संकेत नहीं है, वर्ष के दौरान किसी क्षतिपूर्ति हानि को स्वीकार नहीं किया गया है।

नोट36: प्रावधान,आकस्मिकताएं।

आकस्मिक देयता / संपत्ति की राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं:

क) न्यायालय में लंबित कर्मचारियों से संबंधित मामलों के लिए आकस्मिक देयता **2.43करोड़ रूपए**(वित्तीय वर्ष 2018-192.43 करोड़ रूपए) हैं। उक्त देयता पर दावित ब्याज की राशि निर्धारण योग्य नहीं है।

ख) ग्राहकों/अन्य को जारी बैंक गारंटी:

i. दिनांक 08.11.2017 के बीजी सं. ओईओबी/एलजीआई/040871117000035 के तहत 36,00,625 रूपएकी राशि के विदेश मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी।

ii. दिनांक 08.11.2017 के बीजी सं. 0408/ओईओबी/एलजीआई/71117000034 के तहत 37,37,500 रूपए की हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जारी बैंक गारंटी।

iii. दिनांक 08.11.2017 के बीजी सं. ओईओबी/एलजीआई/0408/71117000036 के तहत 1,73,54,600 रूपए की नवोदय विद्यालय समिति को जारी बैंक गारंटी।

iv. दिनांक 27.09.2019 के बीजी सं. ओईओबी/एलजीआई/0408/71117000031 के तहत 3,17,42,500 रूपए की नवोदय विद्यालय समिति को जारी बैंक गारंटी।

v. दिनांक 06.11.2017 के बीजी सं. ओईओबी/एलजीआई/0408/71217000074 के तहत 1,55,04,500 रूपए की नवोदय विद्यालय समिति को जारी बैंक गारंटी।

vi. दिनांक 15.10.2019 के बीजी सं. ओईओबी/एलजीआई/0408/71117000033 के तहत 3,76,64,500 रूपए की हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जारी बैंक गारंटी।

vii. दिनांक 24.03.2017 के बीजी सं. ओईओबी/एलजीआई/040871217000019 के तहत 2,27,70,000 रूपए की राशि के विदेश मंत्रालय को जारी बैंक गारंटी।

नोट 37: खंड रिपोर्टिंग

इंड एएस 108 "प्रचालनिक सेगमेंट" के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रुपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	2018-19
क. टर्नओवर						
प्रचालन से राजस्व	**7.25**	7.23	**123.88**	63.41	**131.13**	70.64
अन्य आय	**0.31**	0.21	**4.07**	5.49	**4.38**	5.70
अंतःसेगमेंट					**-**	
कुल राजस्व	**7.56**	7.44	**127.95**	68.90	**135.51**	76.34
ख. परिणाम						
प्रावधान पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, ब्याज और कर	**2.86**	**3.43**	**15.70**	**17.46**	**18.56**	20.89

घटाएँ– प्रावधानऔर पश्चलिखित (निवल)		-	**0.74**	0.53	**0.74**	0.53
मूल्यह्रास	**0.03**	0.02	**2.87**	3.08	**2.90**	3.11
ब्याज	**0.00**	-	**0.06**	0.05	**0.06**	0.05
कर पूर्व लाभ	**2.83**	3.41	**12.03**	13.80	**14.86**	17.21
कर व्यय	**0.84**	0.73	**2.51**	2.44	**3.35**	3.17
कर पश्चात लाभ	**1.99**	2.67	**9.51**	11.36	**11.51**	14.04
ग. अन्य सूचना	**-**	-	**(0.01)**	(0.00)	**(0.01)**	(0.00)
परिसंपत्तियां	**1.99**	2.67	**9.51**	11.36	**11.50**	14.04
स्थिर परिसंपत्तियां शामिल हैं (निवल ब्लाक)					-	
देयताएं	**0.45**	0.67	**323.08**	317.55	**323.52**	318.22
पूंजीगत व्यय सावधिक परिसंपत्तियों को जोड़कर	**0.08**	0.07	**92.39**	95.47	**92.47**	95.54

परियोजना के भौगोलिक स्थल के आधार पर दो प्रचालनिक सेगमेंट हैं घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय

(रूपए करोड में)

विवरण	**प्रचालन आय**		**सेगमैन्ट परिसम्पतियां**		**स्थिर परिसंपतियां जोड़कर**	
	2019-20	2018-19	**2019-20**	2018-19	**2019-20**	**2018-19**
परामर्श परियोजनाएं	**106.65**	47.68	161.33	161.22	0.17	0.15
जनशक्ति की आपूर्ति	**0.66**	0.53	0.28	0.30	-	-
एमएफसी को उपपट्टे पर देना	**16.65**	17.79	127.09	120.38	-	-
संयंत्र और मशीनरी को पट्टे पर देना	**1.59**	0.89	30.48	31.47	-	0.06
रेलपथ अनुरक्षण	**4.49**	-	-	-		
अन्य	**1.09**	3.75	4.34	4.85	-	-
कुल	**131.13**	**70.64**	**323.52**	**318.22**	**0.17**	**0.21**

नोट: 38 : राजस्व

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व पर इंड एएस-115 के अंतर्गत प्रकटन

(क) राजस्व का विघटन

ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का विघटन:

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ एवं हानि विवरण / सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
भवन	104.96		104.96	इनपुट		18.24	-
सड़क		6.66	6.66				
अन्य	0.68	0.59	1.27				-
कुल	**105.64**	**7.25**	**112.89**	-	-	**18.24**	**131.13**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत कुल राजस्व में से, समयावधि में 112.89 करोड़ रुपये और समय बिंदु पर शून्य करोड रूपए को स्वीकार किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व					इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व	
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
इमारत	40,97	6.72	**47.69**	इनपुट		18.67	-
अन्य	3.77	0.51	**4.28**				-
संपूर्ण	**44.74**	**7.23**	**51.97**	-	-	18.67	**70.63**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत स्वीकृत कुल राजस्व में से, समयावधि में 51.97 करोड़ रुपये और समय बिंदु पर शून्य करोड रूपए को स्वीकार किया गया है।

(ख) कंपनी ने इंड एएस 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुप्रयोग के लिए आशोधित पूर्वव्यापी परिदृश्य का प्रयोग किया है और दिनांक 01 अप्रैल 2018 को प्रतिधारित आमदनी शून्य है।

(ग) संविदा शेषः

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
व्यापार प्राप्य (नोट 9.10)	**57.19**	63 .44
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 9.5)	**2 .04**	2 .37
संविदा देयताएं (नोट 20	**95 .62**	97 .48

(i) व्यापार प्राप्य पर ब्याज निर्धारित नहीं किया जाता है और ग्राहकों के प्रोफाइल में शामिल हैं रेल मंत्रालपय, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, भारत तथा विदेश में राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 15 से 24 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में शामिल हैं मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि के लिए मासिक प्रगति भुगतान।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है, ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार के प्रतिनिधित्व के लिए सेवाओं का निष्पादन किया गया है। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामि हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि, राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों को पूरा किए जाने पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है यथा बिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भावी सेवा।

वर्ष के दौरान संविदागत शेषों में संचलन

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	2.37	2.37
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	2.04	2.37
निवल वद्धि/कमी	**0.33**	**-**

वर्ष 2019–20 के लिए, संविदागत परिसंपत्तियों में 0.33 करोड रूपए का संचलन हुआ है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा दायित्व ग्राहकों से देय शेष राशियां है, और ये उस समय उत्पन्न होती हैं जब इनपुट विधि के अंतर्गत विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान निर्धारित तिथि को स्वीकृत राजस्व से अधिक हो जाता है और दीर्घकालीन संविदा परियोजनाआं में अग्रिम प्राप्त होता है। अग्रिम रूप में प्राप्त राशि, ग्राहकों द्वारा इनवाइस तैयार किए जाने पर निर्माण अवधि में समायोजित कर दी जाती है।

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019

वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	97.48	20.41
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	95.41	97.48
निवल वद्धि/कमी	**2.07**	**77.00**

(ड.) स्वीकृत राजस्व की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
वर्ष के आरंभ में संविदागत दायित्वों में शामिल राशि	38.65	10.40
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व		

च) संविदा को प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च, 2020 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य रूपए (31 मार्च, 2019 को शून्य रूपए) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में परिशोधन की राशि शून्य रूपए (वित्तीय वर्ष 2018-19 में शून्य रूपए) है।

छ) निष्पादन दायित्व

कंपनी के कार्यनिष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

31 मार्च को शेष प्रनिष्पादन दायित्व (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड में)

	31 मार्च 2020**	31 मार्च 2019
एक वर्ष या कम में	रू. 105.18	रू. 350.48
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक	रू. 540.67	रू. 390.80
दो वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**रू. 645.35**	**रू. 741.28**

नोट: 39 पट्टे

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें कार्यालय स्थल, गेस्ट हाउस और वाहनों के पट्टे शामिल हैं। इंड एएस-116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी ने अपने

प्रत्येक पट्टों (पट्टेदार के रूप में) को आरंभ तारीख को वित्तीय पट्टे या प्रचालनिक पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था।

कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे के साथ कार्यालयों और गेस्ट हाउस के पट्टे भी प्राप्त किए हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टा' स्वीकृति छूट प्राप्त करती है।

परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार

वर्ष के दौरान स्वीकृत और संचलित परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार की वहन राशि शून्य है।

पट्टा देयता

वर्ष के दौरान स्वीकृत और संचलित पट्टा देयताओं की वहन राशि शून्य है।

अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (संदर्भ नोट 38) 0.32 करोड रूपए है।

ख) ऋणदाता के रूप में कंपनी

बहु-उद्देशीय परिसरों के लिए प्रचालनिक पट्टे:

i. कंपनी ने विभिन्न उप-पट्टेदारों को 23 (तेईस) एमएफसी उप-पट्टों पर दिए हैं, जिनमें से कन्नूर, रामपुरहाट और मैसूर में 5 एमएफसी के उप-पट्टे समझौते को दिनांक 31-201-2019 को समाप्त कर दिया गया है और तिरुवल्ला और राजगीर में दो एमएफसी को वर्ष 2019-2020 में आरएलडीए को वापस कर दिया गया है।

ii. गैर-रद्दीकरण पट्टे के अंतर्गत देय/प्राप्य भावी न्यूनतम पट्टा किराया निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ों में)

पट्टा किराया	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से पांच वर्ष तक	पांच वर्ष से अधिक
प्राप्य	**17.93** (16.16)	**76.64** (94.57)	**615.09** (636.15)
देय	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)	**शून्य** (शून्य)

ख. वर्ष के लिए पट्टायुक्त एमएफसी के संबंध में मूल्यह्रास /परिशोधन का प्रकटीकरण :

(रूपए करोड में)

संपत्तियों का विवरण	**2019-20**	2018-19
सकल संपत्ति की राशि	**88 .79**	88 .79
संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	**10 .52**	8 .55

(करोड़ों में राशि)

विवरण	**2019-20**	2018-19
वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	**1 .97**	1.47

उपर्युक्त एमएफसी के लिए , कंपनी को उप-पट्टाधारक से एकमुश्त भुगतान और मासिक किराये की प्राप्ति हुई है। पट्टे के तहत कुल राजस्व **16,65 करोड़ रूपए** (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 17.79 करोड़ रूपए) स्वीकार किया गया है। उप-पट्टेदार से प्राप्त एकमुश्त भुगतान को प्रो-राटा आधार पर पट्टा अवधि पर लाभ और हानि के विवरण के रूप में स्वीकार किया गया है।

नोट–40: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित अनुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के संबंध में सूचना:

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु**
(1) प्रत्येक लेखांकन वर्ष को समाप्त वर्ष को किसी आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त मूल राशि व उसपर ब्याज	3.80	1.91
सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को देय मूल राशि	शून्य	शून्य
उपर्युक्त पर ब्याज	शून्य	शून्य
(2) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की शर्तों के अनुसार रीजन द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि और निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
(3) किए गए भुगतान (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु निर्धारित तिथि के पश्चात) में विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदत्त ब्याज की राशि किन्तु सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	शून्य	शून्य
(4) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित तथा शेष अप्रदत्त ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
(5) आगामी वर्षों में भी देय एवं प्रदत्त ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक, जब कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौतीयोग्य व्यय के अस्वीकार्य के प्रयोजन हेतु लघु उपक्रम को वास्तव में इन देय	शून्य	शून्य

राशियों का भुगतान किया गया हो।		

कंपनी ने यह जानने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं को पत्र भेजे हैं कि क्या वे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत शामिल होते हैं या नहीं। कंपनी ने पाया कि केवल कुछ ही आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आते हैं।

कंपनी को अपने किसी आपूर्तिकर्ता से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि वह लघु उद्यम इकाई है। इस सूचना के आधार पर, 31 मार्च 2020 को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए लधु आद्योगिक उपक्रम के प्रति देय राशि 31 मार्च 2020 को शून्य तथा 31 मार्च 2019 को (शून्य रूपए) हैं।

नोट: 41: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी द्वारा इस अवधि के दौरान सीएसआर पर खर्च की जाने वाली सकल राशि **0.20 करोड़ रूपए** (वित्तीय वर्ष 2017-18 रुपये 0.18 करोड़ रूपए) है।

कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों पर) **0.20 करोड़ करोड** (वित्तीय वर्ष 17 -18 रुपये 0.18 करोड़ रूपए की अपेक्षित राशि की तुला में **0.14 करोड़** (वित्तीय वर्ष 17 - 18 रुपये 0.15 करोड़) की राशि व्यय की है।

व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण	**31 मार्च, 2020 तक**	**31 मार्च, 2019 तक**
कोविड-19 से के लिए प्रधान मंत्री कयर्स कोश में योगदान	**0.00**	**0.00**
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	**0.04**	**0.00**
विशेष रूप से बच्चों के बीच विशेष शिक्षा और रोज़गार संवर्धन सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।	**0.11**	**0.15**
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	**0.00**	**0.00**
खेल	**0.00**	**0.00**

नोट: 42: अन्य प्रकटन

क) वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय बजट 2020 में घोषित की गई विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना है। योजना के अनुसार, निर्धारिती को सीआईटी (अपील), आईटीएटी, अधिकरण उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कर विवाद के निपटारे के लिए एक बार मौका दिया जाता है।

दिनांक 31.03.20202 को आकलन वर्ष 2014-15 2015-16 तथा 2017-18 से संबंधित 19.32 करोड रूपए (ब्याज और दंड को छोडकर) की मांग के प्रति इस योजना का विकल्प चुना गया है और 4.35 करोड रूपए की राशि को इस योजना के अंतर्गत जमा कराया गया है (आकलन के समय स्टे के विरूद्ध पहले ही जमा कराए गए 4.05 करोड रूपए की राशि के समायोजन के पश्चात)। आज की तारीख को उक्त आकलन वर्ष के लिए कोई कर विवाद लंबित नहीं है।

ख) दिनांक 20.02.2015 की मद सं. 10/15 के तहत निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रीय रेलों से पुराने ट्रैक मशीनों की खरीद और अवसंरचनात्मक क्षेत्र में कंपनी की क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए उन्हें प्रचालनिक बनान हेतु अपनी शेयर पूंजी 25.00 करोड रूपए तक बढ़ा दी है। कुल अनुमानित व्यय 25 करोड़ रुपये है जिसमें से 31 मार्च 2020 तक 2.30 करोड रूपए (31 मार्च 2019 तक 2.23 करोड़ रुपये) की राशि को वहन किया गया है।

ग) देनदारों, अग्रिमों और लेनदारों के तहत दिखाई गई कुछ शेष राशियां, यदि कोई हो, पुष्टि / विनियोजन / समायोजन के अधीन हैं। कंपनी ने उपरोक्त में शामिल पक्षों की पुष्टि के लिए पत्र भेजे थे।

घ) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), आयकर (टीडीएस सहित) अग्रिमों, यदि कोई हो, के तहत पुष्टि / विनियोजन / समायोजन, के अधीन हैं।

ड.) प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और व्यापार के साधारण प्रक्रिया में प्राप्ति पर अग्रिम का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

च) <u>वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त नई परियोजनाएं</u>

क. दिनांक 07.05.2019 को भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को पारादीप पोतों इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग एवंय परियोजना पर्यवेक्षण का कार्य प्रदान किया गया है।

ख. दिनांक 22.08.2019 को छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को मध्यपूर्व रेलवे में छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के खरसिया–धरमजयगढ खंड में पूर्वी रेल गलियारा चरण–। परियोजना परिसंपत्तियों (रेलपथ पुलों और अन्य संबधित परिसंपत्तियों, ओएचई और एसटी) के प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य प्रदान किया गया है।

ग. दिनांक 30.12.2019 को भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगमित लिमिटेड (आईआरएसडीसी) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) के बीच करार के अनुसार इरकॉन आईएसएल को सात स्थलों यथा गाजियाबाद, यशवंतपुर, वरकाला, जलना, सतना, करनाल और बक्सर में स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रदान किया गया है।

घ. कंपनी को कंपनी द्वारा किसी दीर्घकालीन संविदा में कोई महत्वपूर्ण भावीहानि नहीं प्रतीत हो रही है, इसलिए इस संबंध में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने विचाराधीन अवधि के दौरान किसी डेरिवेटिव संविदाओं में प्रवेश नहीं किया है।

नोट43: उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय माध्यमों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट

क) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल				
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	0.12	-	-	0.12
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3.47	-	-	3.47
कुल	**3.59**	**-**	**-**	**3.59**

(रूपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				

(i) कर्ज	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	23.78	-	-	23.78
कुल	**23.78**			

ख) दिनांक 31 मार्च 2019 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है:

(रूपए करोड में)

विवरण		**उचित मूल्य**		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
लाभ हानि के माध्यम से उचित मूल्य ('एफवीटीपीएल') पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	-	-	-	-
कर मुक्त बांडों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	0.14	-	-	0.14
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	16.62	-	-	16.62
कुल	**16.76**	-	-	**16.62**

(रूपए लाख में)

विवरण		**उचित मूल्य**		
	वहन मूल्य	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) कर्ज	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	9.70	-	-	9.70

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां अल्पावधि के कारण बड़े पैमाने परइन माध्यमों के अल्पकालीन परिपक्वता के कारण किया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि में शामिल है, जिस सहमत पक्षों के बीच मौजूदा लेनदेन में माध्यम के रूप में आदान-प्रदान किया जा सकता है। उचित

मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया था:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है, जैसा कि तुलन पत्र की तारीख में प्रकाशित विवरणों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा कहा गया है। एनएवी उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और जिस मूल्य पर जारीकर्ता ऐसी इकाइयों को निवेशकों से भुनाएगा।

* वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2018-19 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियां, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एनएचएआई से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य और वसूली योग्य राशियां शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी की गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों को प्रस्तुत करती हैं: जैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर्ज, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर-डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं।

ख) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन कर रही है और अमेरिकी डॉलर के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम (क्योंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों और भुगतान आमतौर पर मेल खाते हैं) की संभावना है। कंपनी की महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है।

ग) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार के ब्याज दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय साधनों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव उत्पन्न करता है। कंपनी अपने

ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के पास जमा राशि शामिल है। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है, क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी का ग्राहक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एनएचएआई है। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी किए जाने वाले कुछ अवधारण पैसे शामिल हैं। कुछ मामलों में बैंक/निगमित गारंटी के साथ प्रतिधारण प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा तंत्र है जो वसूली हेतु उचित ध्यान केंद्रित करता है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

ऋण जोखिम के प्रति कंपनी का खतरा मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और उस देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है, जिसमें ग्राहक प्रचालन करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का खतरा

(रूपए लाख में)

विवरण	**31-03-2020**	**31-03-2019**
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा राशि का मापन किया जाता है		-
गैर चालू निवेश	-	-
अन्य चालू निवेश	0.03	0.05
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	0.29	2.46
चालू निवेश	-	-
रोकड और रोकड समतुल्य	102.10	0.73

अन्य बैंक शेष	47.68	134.33
चालू ऋण	0.09	0.09
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	1.38	12.14
वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा राशि का मापन		
व्यापार प्राप्त	57.01	63.44
संविदगत परिसंपत्तियां	2.02	2.02

सरलीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटा प्रावधानों के मापन में परिवर्तन का सार

विवरण	**31-03-2020**	**31-03-2019**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के लिए प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा खाता राशि	-	-
समापन प्रावधान	-	-

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा स्वीकृत घाटा प्रावधान शून्य लाख रूपए (31 मार्च, 2019 : शून्य लाख रूपए)।

जीवनकाल संभावित ऋण घाटा (एलईसीएल) के प्रयोग द्वारा मापित घाटा प्रावधान में परिवर्तन का सार

विवरण	**31-03-2020**	**31-03-2019**
आरंभिक प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
बट्टा राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/घाटा	-	-
समापन प्रावधान	-	-

रिपोर्टिंग अवधि को दौरान अनुमान तकनीकों या मान्यताओं में अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने शून्य लाख रूपए (31 मार्च 2019 : शून्य लाख रूपए) के घाटा प्रावधानों को स्वदीकार किया है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्वों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करती है: **(रुपए करोड़ में)**

विवरण	**समाप्त वर्ष हेतु**	
	31 मार्च 20	**31 मार्च 19**
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व		
हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय	**60 .20**	32.96
एमएफसी का उप-पट्टाकरण	**16 .65**	17.79
म्यांमार में सड़क और पुल परियोजना का निर्माण	**6 .66**	6.72
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	**27 .29**	4.45
स्वच्छ भारत अभियान के तहत सीएसआर परियोजना	**0.00**	3.72
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)	**4 .49 है**	0.00

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(रुपये में करोड़)

विवरण	**31 मार्च, 2020 तक**		
-	**एक वर्ष से कम**	**1-2 साल**	**2 साल और उससे अधिक**
उधारी	-	-	-
व्यापार देनदारियां	12.19	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	10.27	1.23	12.19

(रुपये में करोड़)

विवरण	**31 मार्च, 2019 तक**		
-	**एक वर्ष से कम**	**1-2 साल**	**2 साल और उससे अधिक**
उधारी			
व्यापार देनदारियां	14.86	0.03	0.22
अन्य वित्तीय देनदारियां	5.56	4.06	0.080275

नोट 44 कोविड–19

प्रकटन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) को वैश्विक महामारी घोषित की है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च 2020 को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी और गैर–अनिवार्य व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन, यात्रा आदि में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे।

समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति गैर अनिवार्य श्रेणी में आती है, जिसके कारण समूह को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन अनुदेशों के अनुपालन में अपने सभी चालू प्रचालन परियोजनाओ ंको अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण परियोजना निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपलब्धता के रूप में समूह के सामान्य प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा था।

केन्द्रीय और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कदम उठाने आरंभ किए हैं और समूह इसका अनुपालन कर रही है, चूंकि समूह ने उपलबध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को आरंभ कर दिया है। समूह धीरे धीरे मई के आरंभ से विभिन्न परियोजना स्स्थलों पर अपने प्रचालनों को आरंभ करने में सक्षम हुई है। समूह ने अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पूर्वोपाय किए हैं और कोविड–19 के प्रसार के निवारण के लिए एसओवी निर्धारित की है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। समूह को आशा है कि धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों के कार्य पर वापसआने से लॉकडाउनके पूर्व की स्थिति जैसी सामान्यता प्राप्त होने पर निर्माण कार्य अपने इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ समूह आगे कि निर्माण कार्यों के गति लााने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोगों का भी दोहन कर रही है।

वित्तीय निष्पादन

समूह विश्वास करती है कि चूंकि अभी तक कोविड–19 महामारी का राजस्व और लाभप्रदत्ता की दृष्टि से समूह के वित्तीय निष्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि समूह ने चालू वर्ष में अपने निर्धारित राजस्व को रिकार्ड किया है।

तरलता (नकदी)

समूह के पास अपने प्रचालन के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है।

समूह को आशा है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में समूह परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों, दरसूची, अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों आदि सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को वसूल कर लेगी।

सुगम प्रचालन हेतु किए गए उपाय

लॉकडाउन अवधि के दौरान, समूह ने कोविड–19 लॉकडाउन के पश्चात व्यवहास हेतु नए सामान्य स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। समूह के गैर–महत्वपूर्ण स्थलों पर कार्य करने के लिए समूह सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य की शर्तों और रोस्टर को सुचारू बना रही है। इसके अतिरिक्त, समूह ने निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के संबंध में कड़ी मॉनीटिरिंग प्रक्रियों को स्थापित किया है:

¼1½ सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग

¼2½ नियमित आधार पर परिसरों और वाहनों का सेनिटाइजेशन

¼3½ सभी कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुरक्षण

¼4½ मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथों को धोने की प्रक्रिया को लागू करना

¼5½ सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का नियमित स्वास्थ्य जांच

¼6½ अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन

परियोजना का कार्य आरंभ होने के साथ, समूह नियमित रूप से अपने प्रचालनों की समीक्षा कर रही है और इस महामारी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई करने के हर संभाव प्रयास कर रह है। हालांकि प्रबंधन को संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व और लाभप्रदत्ता में कमी होगी, समय समयस पर लॉकडाउन अवरोध के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है और इसकी सूचना राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जाएगी चूंकि हम वर्तमान स्थिति में आगे बढ रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ इसके भावी प्रभावों का पूर्वानुमान संभव नही हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोविड–19 की स्थिति भारत और विश्व में फैली हुई है। तथापि, समूह भावी आर्थिक स्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहन निगरानी जारी रखेगी।

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को दिनांक 26 जून 20209 को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृति हेतु जारी किया गया है।

सीए कोमल सिंह चौधरी	**पूजा चौरसिया**	**अजय पाल सिंह**	**मनीषा गोले**
साझेदार	**सी.एफ.ओ**	**सी.ई.ओ**	**कंपनी सचिव**
स.सं.095949			

	सुरजीत दत्ता	**एम के सिंह**
स्थानः नई दिल्ली	**निदेशक**	**अध्यक्ष**
दिनांकः 26.26.2020	**(डीआईएन–06687032)**	**(डीआईएन–06607392)**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड,
नई दिल्ली
के सदस्यों हेतु

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षण रिपोर्ट

हमने इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (''कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

मत

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसेइस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हम यह मानना है कि वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखापरीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), यथा संशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों (वित्तीय स्थिति), लाभ हानि (अन्य वृहत आय सहित वित्तीय निष्पादन), रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है । युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विववरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन मानकों के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथव्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों,का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह प्रणाली प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

हम, अन्य मामलों के साथ साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षो और

साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखापरीक्षा मामले थे। अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामलपे हैं, जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में, चालू अवधि में क्षेत्र के वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से क्षेत्र के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में किया गया था, और इसमें हमारा मत निर्धारित किया गया है, और हम इन मामलों में कोई पृथक मत प्रस्तुत नहीं करते हैं।

हम निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित करने के लिए कोई प्रमुख लेखापरीक्षा मामला नहीं है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन से प्रभारित हेतु उत्तरदायित्व।

कंपनी का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों, जो अधिनियम के अनुच्छेद–133, के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता

को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं, जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर बने रहने की कंपनी की क्षमता, प्रकटन, जैसा कि लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों का आकलन करने और लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार पर प्रयोग बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहती है या प्रचालनों को बंद करना चाहती है, को छोड कर या ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

ये निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग की निगराने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम **अनुबंध–क** के रूप में दे रहे हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 के उप अनुच्छेद (5) की शर्तों के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निदेश जारी किए हैं जिन्हें **अनुबंध–ख** में प्रस्तुत किया गया है।
3. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम–7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

(ड.) दिनांक 31 मार्च 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिए गए, दिनांक 31 मार्च 2020 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

(च) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के उपर वित्तीय रिपोर्टिंग की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक कुशलता के संबंध में **अनुबंध ग** में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(ज) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर कोविड–19 के प्रभाव को प्रकट किया है जिसमें उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में ऐसी वैश्विक महामारी का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है – वित्तीय विवरण के नोट सं.–46 का संदर्भ लें;

(i) कंपनी ने लागू नियमों के अनुसार प्रावधान किए हैं, और डैरिवेटिव संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं है जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण अप्रत्याशित घाटे हुए हैं।

(ii) वर्ष के दौरान कंपनी के मामले में ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जहां है निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित की गई हो। ऐसी राशि के अंतरण में विलंब का कोई प्रश्न नहीं उठता।

कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एमआरएन : 508095सी)

ह/–
कोमल सिंह चौधरी
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 086854)
यूडीआईएन : 20086854एएएएसीएफ5440

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020

अनुबंध क

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (सीएआरओ 2016)

सेवामें,

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के सदस्य,

(i) स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में

(क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है।

(ख) हमें उल्लेख किए अनुसार, कंपनी की प्रकिया के अनुसार, युक्तिसंगत अंतराल पर चरणबद्ध सत्यापन कार्यकम मे प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित है। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) अचल परिसंपत्तियों का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है।

(ii) इन्वेंटरियों से संबंधित

हमें उल्लेख किए अनुसार, उपभोज्य और स्टेशनरी के इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान युक्तिसंगत अंतराल पर किया जाता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुपालन

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम की धारा–189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में किसी कम्पनी, फर्म, लिमिटेड देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को किसी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (क), (iii) (ख) तथा (iii) (ग) कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत अनुपालन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(v) जमाराशियों को स्वीकार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 का अनुपालन

हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 तक तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों, जहां लागू हो, के प्रावधनों या किसी अन्य संगत प्रावधानों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन में कोई जमाराशियां स्वीकार नहीं की हैं। कंपनी विधि बोर्ड या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vi) लागत रिकार्डों का अनुरक्षण

हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी के उत्पादों के लि कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–148 (1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) सांविधिक देय राशियों को जमा कराना

क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों के संबंध में लेखा बिहयों में कटौती की गई/संचित राशियों को सामान्य रूप से नियमित आधार पर कंपनी द्वारा सांविधिक प्राधिकरणों को जमा कराया गया है और छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई भी बकाया राशि दिनांक 31 मार्च 2020 को अविवादित देयों के रूप में शेष नहीं है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर बिक्रीकर, सम्पदाकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, वस्तु एवं सेवाकर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय के संबंध में नीचे उल्लिखित को छोड़कर इनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए कोई अविवादित देय नहीं है :

(viii) ऋणों और उधारों का पुनर्भुगतान

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों की देय राश्यिों के भुगतान में सिकी प्रकार की चूक नहीं की है। वर्ष के दौरान कंपनी का किसी वित्त संस्था, बैंक या डिबेंचर धारकों के प्रति कोई देय राशि लंबित नहीं है।

(ix) पब्लिक ऑफर या दीर्घकालीन ऋण द्वारा एकत्र धनराशि का उपयोग

कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण लिखितों सहित) तथा दीर्घकालीन ऋणों के माध्यम से कोई धनराशि एकत्र नहीं की है। इसलिए यह खंड लागू नहीं है।

(x) वर्ष के दौरान जालसाजी कर रिपोर्टिंग

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर वर्ष के दौरान कोई जालसाली नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया है।

(xii) निवल स्वामित्व निधि व जमाराशियों के अनुपात के संबंध में निधि कंपनी द्वारा अनुपालन

हमारे पास उपलब्ध सूचना और रिकार्डों के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

(xiii) कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के संबंध में संबंधित पक्ष अनुपालन

जी हां, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) शेयरों और डिबैंचवरों के निजी प्लेसमेंट के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अंतर्गत अनुपालन

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों या परिवर्ती डिबैंचरों के निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया।

(xv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत अनुपालन

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा

कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और तदनुसार, इस आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एमआरएन : 508095सी)

ह/–
कोमल सिंह चौधरी
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 086854)
यूडीआईएन : 20086854एएएएसीएफ5440

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020

अनुबंध–ख

अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार यथपेक्षित हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
	क्या समूह में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने व्यवस्था स्थापित की गई है? यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	जी हां। कंपनी के पास सभी लेखांकन संव्यवहारों के निष्पादन हेतु तथा वित्तीय लेखों को तैयार करने के लिए टैली प्रणाली विद्यमान है। कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली से बाहर नहीं किया जाता है।
	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा समूह को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	वर्ष के दौरान, ऋण के पुनर्भुगतान की कंपनी की अक्षमता के कारण क्षेत्र में देनदारों क्षरा कर्ज/ऋणों/ब्याज आदि में छूट प्रदान करने/बट्टे खाता डालने या पुनर्निधारण का कोई मामलन विद्यमान नहीं है।
	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त / प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/ नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है? व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत किसी केन्द्रीय या राज्य एजेंसी से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है/प्राप्य नहीं है।

कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एमआरएन : 508095सी)
ह/–
कोमल सिंह चौधरी
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 086854)
यूडीआईएन : 20086854एएएएसीएफ5440

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इरकॉनइन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 3(च) में संदर्भित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का ''अनुबंध–ग''।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2020 को इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधर पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'')के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत

आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं – वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रव्रि याएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

अर्हत मत

हमारे मतानुसार, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2020 से कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

कृते के.एस.चौधरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एमआरएन : 508095सी)

ह/–
कोमल सिंह चौधरी
साझेदार
(सदस्यता संख्या : 086854)
यूडीआईएन : 20086854एएएएसीएफ5440

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.07.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 03.07.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/0
(बी.आर.मंडल)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक: 07.09.2020

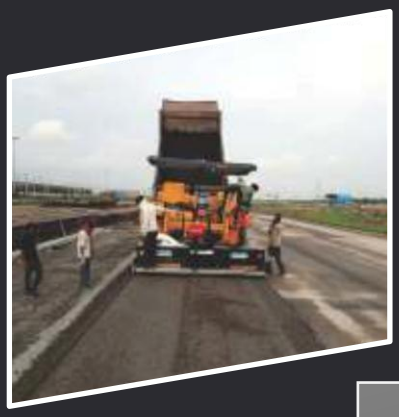

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लिमिटेड

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–1100017, भारत

टेलीफोन : 91–11–29565666 फैक्स : 92–11–26854000, 265522000,

ई–मेलःinfo@irconisl.com, वेबसाईटःwww.irconisl.com

www.censer.in (M) 9810213218

INFRA & SERVICES